iir & 2 % 0;kikfjd fof/k] fufr'kkL= vkj lpkj

भाग – 1 : घोषणा नवम्बर 2016 की परीक्षा के लिए लागु हुई या नहीं लागु हुई

1. नवम्बर 2016 की परिक्षा के लिए लागु

अध्यन्न सामग्री (जुलाई 2015 मुद्रक), अभ्यास पुस्तिका (अप्रेल 2016 (मुद्रंक) संस्करण) के साथ "अनुपूरक अध्यन्न पेपर 2016" पेपर : 2 व्यवसाय विधि, नितिशास्त्र और संचार के लिए अध्यन्न करे। (विद्यार्थी सम्बन्धित है नवम्बर 2016 और मई 2017 की परीक्षा) सम्बन्धित है नवम्बर 2016 की परीक्षा के लिए। अनुपूरक अध्यन्न पेपर 2016 से सम्बन्धित संसोधन। परिपत्र। अधिसुचना आदि शामिल है। यह प्रस्तुति व्यवसाय में बने भाग कम्पनी विधि के लिए 1 मई 2015 से 30 अप्रेल 2016 से सम्बन्धित विद्यार्थियों के लिए है।

विनिमय साध्य विलेख अधिनियम, 1881

विनिमय साध्य विलेख 2015 में प्राप्त 26 दिसम्बर 2015 को राष्ट्रपति कि स्वीकृति से 29 दिसम्बर 2015 को अधिकारिक राजपत्र में विधि व न्याय मंत्रालय द्वारा अधिसुचित किया गया।

परक्राम्य विलेख अधिनियम 1881 (वि. वि. 1881) में जुन 2015 के 15 दिनों के अन्दर किये गये संसोधनों को लागु समझा जायेगा।

प. वि. अधिनियम 1881 परिभाषित करता है प्रतिज्ञा पत्र, चेक के अनादरण के विशेष दण्ड अन्य उल्लंगन्ना को। यह हालांकि न्यायालयों के क्षेत्राधिकार जहां चेक अनादरण के मामले दायर किये जा सकते है वह विशेष नही है।

संसोधन अधिनियम 2015 की धारा 6 में इलेक्ट्रानिक चेक की जांच की परिभाषा संसोधित और धारा 142 में और एक नई धारा 142A लंबित मामलों के हस्तान्तरण के साथ निपटने के लिए प्रविष्ठी के माध्यम से अपराधों का संज्ञान लेने के लिए संसोधन में अदालतों के उपयुक्त क्षेत्र स्पष्ट किया गया है। चेक के अनादरण से भी सम्बन्धित है।

परक्राम्य विवरण अधिनियम 2015 (संसोधन) का अतिमहत्वपूर्ण भाग :–

1. प. वि. अधिनियम 1881 की धारा 6 में चेक की संसोधित

परिभाषा :–

(i) स्पष्टीकरण :–

खण्ड (a) में अधिनियम प्रधान निम्नलिखित परिभाषा

(a) "चेक इलेक्ट्रानिक प्रारूप में" – परक्राम्य विलेख अधिनियम 1881 में यह परिभाषित किया गया है चेक में सम्मिलित है कागजी चेक की सटीक या हुबहु दर्पण छवि है तथा जो किसी ऐसी सुरक्षित प्रणाली में प्रजनित लिखित तथा हस्ताक्षरित है जिसमें आंकिक, हस्ताक्षर (जीव सांख्यकी से या उसके बिना हस्ताक्षर) तथा विषम गुप्त तथा अदृश्य प्रणाली के उपयोग के न्युनतम सुरक्षा प्रमापों को सुनिश्चित कर लिखा गया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

इस संस्करण की परिभाषा में संसोधन किया गया है और प्रतिस्थापित अर्थात निम्नलिखित के साथ :–

"चेक इलेक्ट्रोनिक प्रारूप में" –

एक चेक किसी भी कम्प्युटर संसाधन का उपयोग करके से इलेक्ट्रोनिक रूप में तैयार करने का मतलब है और डिजिटल हस्ताक्षर (जीव सांख्यकि से या उसके बिना हस्ताक्षर) और विषम गुप्त या अदृश्य प्रणाली या इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर के साथ एक सुरक्षित प्रणाली में हस्ताक्षर किये जैसा भी मामला हो सकता है।

(ii) मुल अधिनियम में स्पष्टीकरण 11 के बाद निम्न स्पष्टीकरण डाला जायेगा अर्थात्

स्पष्टीकरण II इस धारा अभिव्यक्त शब्दों से आशय "विषय गुप्त अदृश्य प्रणाली", "कम्प्युटर संसाधन", "डिजिटल हस्ताक्षर", "इलेक्ट्रोनिक प्रारूप", और "इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर" क्रमशः इन सब का समान अर्थ होगा जो सुचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000 में दिया गया है।

2. धारा 142 में संसोधन (अपराधों का संज्ञान) – मुल अधिनियम में धारा 142 में उपधारा (1) के रूप में गिनि जायेगी उसके व उसके बाद उपधारा (1) गिनी जायेगी निम्नलिखित उपधारा सम्मिलित कि जायेगी

"(2) धारा 138 के तहत वह मामले जिसमें चेक के अनादरण की जांच की जायेगी ओर जिस अदालत ने अपने क्षेत्राधिकार के भीतर केवल कोशिश की :–

(a) यदि चेक एक खाते के माध्यम से वसुलि के लिए दिया जाता है

बैंक की शाखा स्थित है जहा अदाता यथा समय धारक हो सकता है जहां का खाता रखता है।

(b) यदि चेक प्रस्तुत किया जाता है भुगतान के लिए अदाता या यथा समय धारक के द्वारा अन्यथा खाते के माध्यम से अदाकर्ता बैंक की शाखा स्थित है जिसमें आर्हता खाता रखता है।

स्पष्टीकरण – खण्ड (a) से आशय जहां चेंक संग्रहण के लिए दिया जाता है अदाता यथासमय धारक के बैंक की किसी भी शाखा में तब चेक बैंक की शाखा जिसमें अदाता या यथा समय धारण खाता रखता है को दिया गया समझा जायेगा जैसा भी मामला है।

3. नई धारा 142A प्रविष्ट की गई – लम्बित मामलों के हस्तान्तरण के लिए मान्यता –

धारा 142A प्रविष्ट की गई इस अधिनियम में। चेक वापसी के सारे लम्बित पड़े मामले किसी भी अदालत में, अधिनियम लागु होने से पहले एक उचित अधिकार क्षेत्र के साथ अदालत को स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे।

142 (A) दंड प्रक्रिया सहिता में निहित कुछ होते हुये भी या किसी भी फैसले की डिक्री (हुक्कानामा), आदेश या किसी भी न्यायालय के निर्देश, सभी मामलें धारा 142 की उपधारा (2) के तहत न्यायालय अधिकारिता वाले को हस्तानान्तरित होंगे, जैसा कि संसोधित पराक्रम्य विलेख (संसोधन) अध्यादेश 2015 के द्वारा, इस अधिनियम के तहत

© The Institute of Chartered Accountants of India

स्थानान्तरित किया गया है समझा जायेगा, जैसा कि उपधारा में सभी सामग्री समय पर लागु की गई थी।

(2) कुछ होते हुये भी धारा – 142 की उपधारा (2) अथवा उपधारा (1) में, जहा अदाता या यथासमय धारक, जैसा भी मामला है, आर्हता के चेक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाता है अदालत के अधिकार क्षेत्र में होने धारा 142 की उपधारा (2) में अथवा उपधारा (1) के तहत मामले को अदालत में हस्तान्तरित कर दिया गया था। और इस तरह की शिकायत अदालत में लम्बित है। बाद की सभी शिकायतें धारा 138 से उत्पन्न एक जैसे आर्हता के खिलाफ अदालत के समक्ष दर्ज की जायेगी। उन पर ध्यान दिये बिना जो चेक संग्रहण के लिए दिये गये या भुगतान के लिए प्रस्तुत किये गये है प्रादेशिक न्यायालय क्षेत्र के अधिन।

यह उपधारा आगामी दर्ज शिकायतों से सम्बन्धित है :–

अदाता शिकायत दर्ज करवाता है आर्हाता के खिलाफ उचित अधिकार क्षेत्र के अधिन सभी आगामी शिकायतें उस व्यक्ति के खिलाफ चेक उछल से सम्बन्धित समान अदालत में दर्ज करवाई जायेगी। इस चेक की प्रस्तुति की विधा/ विधि की परवाह किये बगैर हो जायेगा।

(3) परक्राम्य विलेख (संसोधन) अधिनियम 2015 के प्रारम्भ होने तिथि को यदि अदाता या यथा समय धारक और फिर एक अधियोजन पक्ष के मामले के रूप में दायर करवाता है एक जैसे अदाता के लम्बीत चेक खिलाफ अलग अलग अदालत में, पर इस तथ्य को अदालत में ध्यान में लाया गया है। इस तरह अदालत, अदालत होने के अधिकार क्षेत्र के मामले स्थानान्तरित करेगा धारा 142 की उपधारा (2) के अधिन। संसोधित परक्राम्य विलेख अध्यादेश 2015 (संसोधित) से पहले जो भी पहला मामला दायर किया गया था और लम्बित है जैसे कि अगर उपधारा सभी सामग्री पर लागु किया गया था।

जब एक से अधिक मामले दर्ज किये जाते है समान अदाता द्वारा, समान आर्हता के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों के समक्ष :–

यदि एक से अधिक मामले समान अदाता द्वारा, समान आर्हता के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों के समक्ष दर्ज करवाये जाते है मामले उचित अधिकार क्षेत्र जो पहले पहला मामला दायर किया गया था के साथ अदालत में स्थान्तरित कर दिये जायेंगे।

4. निरसन और बचत – (1)

परक्राम्य विलेख (संसोधन) दुसरा / द्वितीय अध्यादेश 2015 जो 22 सितम्बर 2015 को प्रकाशित था। इसके द्वारा निरस्त कर दिया है।

(2) कुछ भी होते हुये भी इस तरह के निरसन विशिष्ट अधिनियम के अधिन कि गई किसी भी कारवाई को अध्यादेश द्वारा संसोधन के तहत कारवाई से किया गया या ले जाया गया समझा जायेगा। प्रधान अधिनियम के सगत प्रावधानों के अधिन व संसोधित अधिनियम के अधिन।

संदर्भ ले अध्यन्न सामग्री की पृष्ठ संख्या 2.6 से 2.36 तक (जुलाई 2015 संस्करण)

© The Institute of Chartered Accountants of India

बोनस भुगतान अधिनियम 2015

बोनस भुगतान अधिनियम (संसोधन) 2015, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 को संसोधित करने के लिए हैं। इस अधिनियम ने 31 दिसम्बर 2015 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की और 1 जनवरी 2016 को विधि व न्याय मंत्रालय द्वारा अधिकारिक राजपत्र में अधिसुचित किया गया। यह समझा जायेगा कि यह आया व लागु हुआ अप्रेल के प्रथम दिन से।

बोनस भुगतान (संसोधित) अधिनियम 2015 की मुख्य बाते :–

1. संसोधित धारा 2(13) – बोनस भुगतान अधिनियम 1965 (मुख्य अधिनियम) यह कर्मचारी की परिभाषा बताता है जो बोनस के लिये पात्र है।

प्रधान अधिनियम के अनुसार कर्मचारी का अर्थ (किसी प्रशिक्षु के अतिरिक्त) जिसकी वेतन व मजदुरी 10000 प्रतिमाह से अधिक न हो किसी भी उद्योग में। जो कुशल व अकुशल, शारिरीक पर्यवेक्षी, प्रबन्धकीय, प्रशासकीय, तकनीकी व लिपिकीय कार्य भाड़े पे या परिश्रमिक पर करता है चाहे वह स्पष्ट हो या गर्भित हो।

बोनस भुगतान (संसोधन) अधिनियम 2015, बोनस के लिए 10,000 प्रतिमाह से बढ़ाकर 21000 प्रतिमाह है।

(2) धारा 12 में संसोधन :– बोनस भुगतान अधिनियम 1965 की धारा 12 जो निश्चित कर्मचारीयों के बोनस की गणना से सम्बन्धित है। प्रधान अधिनियम के अनुसार जहाँ जब किसी कर्मचारी का वेतन या मजदुरी 3500 प्रतिमाह से अधिक हो जाती है वहाँ ऐसे कर्मचारी को धारा 10 या 17 के अधिन जैसी भी स्थिति हो देय बोनस की गणना इस प्रकार की जायेगी मानों उसका वेतन व मजदुरी 3500 प्रतिमाह थी।

यह धारा बोनस भुगतान (संसोधन) अधिनियम 2007, 14/2006 से सम्मिलित की गई है।

बोनस भुगतान (संसोधन) अधिनियम 2015 के अनुसार अधिकतम बोनस की गणना के लिए स्थापित किया गया है। "3500 रूपये" शब्द के दोनों स्थान पर जहां वे होते है, समुचित सरकार द्वारा अनुसूचित रोजगार के लिए निर्धारित न्युनतम मजदुरी या 7000 रूपये जो भी अधिकतम क्रमशः प्रस्थापित किया जायेगा।

इसके अलावा दुसरे स्पष्टीकरण इस धारा के अन्त में डाले गये है अर्थात् :–

"स्पष्टीकरण" – इस धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति" "अनुसूचित रोजगार" का समान अर्थ होगा जो न्युनतम मजदुरी अधिनियम 1948 की धारा – 2 के वाक्यांश (g) में दिया गया है।

(3) धारा 38 में संसोधन – बोनस भुगतान अधिनियम 1965 की धारा 38 नियम बनाने की शक्ती से सम्बन्धित है। प्रधान अधिनियम के अनुसार केन्द्र सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से नियमों को बना सकती है। चुंकि यह धारा नियमों के पिछले प्रकाशन को प्रदान नहीं करती है।

बोनस भुगतान (संसोधन) अधिनियम 2015 :–

© The Institute of Chartered Accountants of India

समर्थित प्रावधान पिछले प्रकाशन से इसका उद्देश्य है आमंत्रित करना आपत्तियों व सुझावों में मिलान और साथ अन्य श्रमिकों के कल्याण से संबंधित कानुनों के साथ सम्मिलित किया गया है।

प्रधान अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) के अनुसार

निम्नलिखित उपधारा को प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात्

"(1) केन्द्र सरकार अधिकारिक राजपत्र में अधिसुचना द्वारा पिछले प्रकाशन की शर्त के अधीन नियम इस अधिनियम के प्रावधान से पालना करने के लिए बना संदर्भ ले अध्यन्न सामग्री की पृष्ठ संख्या 3.19 से 3.28 (जुलाई 2015 संस्करण)

dEiuh vf/kfu;e] 2013

कम्पनी (संसोधन) अधिनियम 2015 और अन्य प्रासंगिक विधान सम्बन्धि संसोधन :

1. देखीये अधिसुचना G.S.R. 349(E) दिनांक 1 मई 2015, केन्द्र सरकार प्रवर्तन के माध्यम से कम्पनि (निगमित) संसोधन नियम 2015, इसमें सम्मिलित सम्बन्धित नियम 7A और नियम 36 कम्पनि (निगमित) नियम 2014 से, धारा 3, 4, 5 और 7 की शक्तीयों का प्रयोग करते हुये और साथ पढ़े कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 469 की उपधारा (1) & (2)।

(i) "नियम 7A जुर्माना : यदि एक व्यक्ति कम्पनी अथवा उसका कोई भी अधिकारी, एक व्यक्ति कम्पनी के अभिदाता/ सदस्य द्वारा गठन व नामांकन के प्रावधानों के नियमों का उल्लंघन किया जाता है, OPC और उसके किसी भी अधिकारी पर 5000 रूपये तक दण्ड लगाया जा सकता है इसके अतिरिक्त ऐसी अवहेलना की अवधि के लिए 500 प्रतिदिन की दर से इसे बढ़ाया भी जा सकता है, पहले अपराध के दैरान जब तक अवहेलना जारी है।

(ii) नियम 36 समामेलन की एकीकृत प्रक्रिया –

(1) कम्पनी के समामेलन के लिए फार्म भरने को सरल बनाने के लिए एकीकृत प्रक्रिया लागु कि गई यह 1 मई 2015 से प्रभाव में है।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, निर्देशक पहचान संख्या के आवंटन के लिए आवेदन करने के लिए, 3 निर्देशकों तक, नाम के आरक्षण कम्पनी का समामेलन और प्रस्तावित कम्पनी के निर्देशकों की नियुक्ती के लिए एकीकृत फार्म नम्बर INC – 29 जमा करवाना होगा। एक व्यक्ती कम्पनी, निजि कम्पनि, सार्वजनिक कम्पनि, और निर्माता कम्पनी के लिए जहाँ कम्पनी स्थित है उसके रजिस्ट्रार क्षेत्राधिकार के भीतर पंजीकृत कार्यालय पर फार्म जमा करवाना व साथ में पंजीकरण शुल्क 2000 रूपये जो विशिष्ट दिया गया है कम्पनी (पंजीकृत कार्यालय और शुल्क) नियम 2014

(3) एकीकृत निगमित फार्म जमा करवाने के प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से अधिकतम 3 निर्देशकों को फार्म नम्बर INC – 29 जमा करवाने की अनुमति है और अधिकतम 3 प्रस्तावित निर्देशकों को DIN आवंटित करने की अनुमति है फार्म INC – 29 में उन प्रस्तावित निर्देशकों DIN नहीं होने के मामले में मंजुरी दी जायेगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(4) प्रस्तावित कम्पनी के प्रर्वतक या आवेदक केवल एक ही नाम प्रस्तावित कर सकते है ई – फार्म नम्बर INC-29 में।

(5) प्रस्तावित कम्पनी के प्रवर्तक व आवेदक तैयार करेंगे टेम्पलेट्स पार्षद सीमानियम के फार्म नम्बर INC - 30 में और पार्षद अर्न्तनियम के टेम्पलेट्स फार्म नम्बर INC -31 में। प्रावधान के नियम 13 में तैयार करना पार्षद अर्न्तनियम और पार्षद सीमानियम।

(6) प्रवर्तक व आवेदक हस्ताक्षर करेगा व गवाह बनेगा, पार्षद सीमानियम और पार्षद अर्न्तनियम के फार्म डाउनलोड करेंगे निगमित मंत्रालय की पोर्टल से स्पष्ट स्केन करेंगे और प्रावधान का नियम – 16 पार्षद सीमानियम व पार्षद अर्न्तनियम तैयार करना के अनुसार फार्म के साथ ई – फार्म INC – 29 भी साथ लगायेंगे।

(7) फार्म नम्बर INC – 29 में सुविधा है निगमन के एकीकृत आवेदन के लिए यह एक विकल्प उपलब्ध करवाता है अलग से आवेदन के लिए यह आवंटीत करता है निर्देशक पहचान नम्बर, नाम का आरक्षण, और उपलब्ध नियमों के अनुसार कम्पनि का निगमन।

(8) निगनम के लिए आवेदन पत्र दाखिल करने के लिए एकीकृत प्रणाली का उपयोग कर उपलब्ध नियमों को शामिल करते हुये। अधिनियम कि धारा – 4 के प्रावधान की उपधारा (5) के उपवाक्यांश (i) और नियमों में से नियम 9 लागु नही होगा।

(9) इस नियम के प्रावधानों का उपयोग कर कम्पनी अपने पंजीकृत कार्यालय पर सत्यापन प्रस्तुत कर सकती है अधिनियम कि धारा 12 की उपधारा (2) के अधिन। ई फार्म INC – 29 जमा करवाना जिस मामले में कम्पनी इस ई फार्म INC -29 के साथ संलग्न करेगी जो निर्दिष्ट किया गया नियम 25 के उपनियम (2) में।

(10) ई फार्म INC - 28 भरने की आवश्यकता यदि प्रस्तावित कम्पनी द्वारा दिये गये पत्राचार पते पर अपने पंजीकृत कार्यालय को बनाये रखने के साथ तिरस्कृत कर दिया जाता है।

(11) जहाँ प्रस्तावित कम्पनी स्थित है वहा के क्षेत्राधिकार के भीतर पंजीकृत कार्यालय के रजिस्ट्रार के पास प्रक्रिया से DIN के आवंटन के लिए INC – 29 के साथ आवेदन करना होगा।

(12) जहां रजिस्ट्रार ई फार्म INC - 29 की जाँच करता है और पाता है कि यहां और अधिक आवश्यक जानकारी देने के लिए या यह आवेदन व (अन्य प्रपत्र) दस्तावेज दोषपूर्ण पाता है या किसी भी संबंध मे अपूर्ण है तो वह आवेदक को दोषों को दुर करने के लिए सूचना देनी होगी और ई फार्म को वापस जमा करवाना होगा 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार ने सूचना उस दिन से।

(b) दस्तावेजों के वापस जमा करवाने के बाद भी रजिस्ट्रार अभी भी दस्तावेजों को दोषपूर्ण या अपूर्ण, किसी भी सम्बन्ध में पाता है तो उसे एक और 15 दिन का अवसर दिया जायेगा जिससे वह दोषों व कमीयों को दुर कर सके।

(c) इस मामले में रजिस्ट्रार को विकल्प है कि दस्तावेज किसी भी सम्बन्ध में दोषपूर्ण या अपूर्ण दो अवसर दिये जाने के बाद प्रस्तावित कम्पनी का ई फार्म INC – 29 को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(13) रजिस्ट्रार समामेलन का प्रमाण पत्र फार्म INC – 11 में जारी कर देगा।

संदर्भ पेरा 1.6 बिन्दु (i) व बिन्दु (ii) के लिए पेज नम्बर 6.18 अध्यन्न सामग्री में। (जुलाई 2015 संस्करण)

(2) देखिये अधिसुचना नम्बर G.S.R. 442(E) दिनांक 29 मई 2015 केन्द्र सरकार के प्रर्वतन के माध्यम से कम्पनी (निगमित) द्वितीय संसोधन नियम 2015, कम्पनी (निगमित) नियम 2014 से संसोधित शक्तीयो के प्रयोग के द्वारा। कम्पनी अधिनियम 2013 कि धारा 7 के साथ धारा 469 की उपधारा (1) & (2)अ पढ़े।

अधिसुचना के अनुसार कम्पनी (निगमित) नियम 2014 में एक प्रावधान नियम 12 जोड़ा गया जो धारा 7(1) के अधीन कम्पनी के समामेलन का आवेदन रजिस्ट्रार को दाखिल करने से सम्बन्धित है।

"इन मामलों में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कम्पनी को अपने क्षेत्रवार नियामको जैसे RBI, सेबी पंजीकरण व अनुमोदन करवाने आवश्यकता है पंजीकरण व अनुमोदन जैसा भी मामला है। कम्पनी द्वारा अपने उद्देश्यों व घोषणाओं को पहले प्राप्त किया जायेगा इस सम्बन्ध में नियांमको के समक्ष कम्पनी के समामेलन के स्तर पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

संर्दभ में पेरा 1.6 पेज नम्बर 6.18 बिन्दु (ii) अध्यन्न सामग्री में (जुलाई, 2015 संस्करण)

(3) देखे अधिसुचना नम्बर 3.0. 1440(E) दिनांक 29 मई 2015 यहां केन्द्र सरकार द्वारा नियत 29 मई 2015 प्रावधान के लागु किये जाने के रूप में कम्पनी (संसोधन) अधिनियम 2015 की धारा 1 से 10 और 15 से 23 तक।

कम्पनी अधिनियम 2013 में अगला संसोधन अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कम्पनी (संसोधन) अधिनियम 2015; 26 मई 2015 को।

कम्पनी (संसोधित) अधिनियम 2015 में संसोधित सम्बन्धित धारा निम्नलिखित है।

कम्पनी अधिनियम 2013 से सम्बन्धित धाराए	कम्पनी (संसोधित) अधिनियम 2015 द्वारा संसोधित धाराए	अध्यन्न सामग्री में सन्दर्भीत पृष्ठ संख्या (जुलाई 2015 संस्करण) प्रासंगिक विषय कवर
निजि कम्पनी की परिभाषा धारा 2(68) में दी गई	शब्द को "एक लाख रूपये अथवा उच्च प्रदत अंश पूंजी" छोड़े जायेंगे।	पृष्ठ संख्या 6.7
सार्वजनिक कम्पनी की परिभाषा धारा 2(71) में दी गई	उप वाक्यांश (b) में, शब्द 5 लाख रूपये अथवा उच्च प्रदत अंश पूंजी" को छोड़े जायेंगे।	पृष्ठ संख्या 6.8
पंजीकरण का प्रभाव दिया गया है धारा 9	शब्द "एक सार्व मुद्रा" शब्द छोड़ा जायेगा	पृष्ठ संख्या 6.20

© The Institute of Chartered Accountants of India

में		
धारा 11 व्यापार करने व व्यापार प्रारम्भ करने	लुप्त	पृष्ठ संख्या 6.22
कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय दिया गया धारा 12 में।	उपधारा (3) के उपवाक्य (b) निम्नलिखित उपवाक्य प्रतिस्थापित किया जायेगा – "(b) जैसा कि इसका नाम अपनी मुहर पर स्पष्ट अक्षरों में उत्कीर्ण है यदि कोई हो	पृष्ठ संख्या 6.23
धारा 22 में दिया गया विनिमय बिल का निष्पादन आदि।	(i) उपधारा (2) में – (a) शब्द "अपनी सार्वमुद्रा" शब्द "अपनी सार्वमुद्रा" यदि कोई तो प्रतिस्थापित किया जायेगा (b) निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित किया गया अर्थात् – इस मामले में प्रयोजन एक कम्पनी कि सार्वमुद्रा नही है, उपधार में अधिकृत दो निर्देशकों के द्वारा अथवा एक निर्देशक व कम्पनी सचिव, जो भी कम्पनी सचिव कम्पनी द्वारा नियुक्त किया गया है द्वारा किया जायेगा (ii) उपधारा (3) में शब्द यह सार्वमुद्रा के लोप होने के प्रभाव में बनाये गये।	पृष्ठ संख्या 6.78
धारा 46 अंश प्रमाण पत्र दिया गया है।	उपधारा – (1) में शब्दों के लिए "कम्पनी की सार्वमुद्रा के अधीन जारी" शब्द "सार्वमुद्रा के अधीन जारी" करता है तो कम्पनी किसी भी दो निर्देशकों द्वारा अथवा एक निर्देशक व एक कम्पनी सचिव जो भी कम्पनी द्वारा नियुक्त किया गया है हस्ताक्षर से प्रतिस्थापित किया गया है।	पृष्ठ संख्या 6.92
कुछ कम्पनियों द्वारा जनता स्वीकार जमाये धारा 76 में दी गई	धारा 76 के बाद निम्नलिखित नई धारा सम्मिलित की गई है अर्थात "76 A जहाँ कम्पनी स्वीकार या आमंत्रित या अनुमति देती है अथवा किसी दुसरे व्यक्ति कारण अपनी और से किसी भी जमा	

© The Institute of Chartered Accountants of India

	स्वीकारती है या आमंत्रित करती है किसी भी प्रकार उल्लंगन्न या निर्धारित शर्तों का उल्लंगन करती है धारा 73 के अधीन और धारा 76 के अधीन या उसके बनाये गये नियमो के अधीन। यदि कम्पनी विफल हो जाती जमाओं कि वापसी या जमाओ के के किसी भाग की वापसी या देय ब्याज का भुगतान करने में, विशिष्ट निर्धारत समय के भीतर धारा 73 व धारा 76 के अधीन या बनाये गये नियमों के अधीन। धारा 73 के अधीन अदालत द्वारा अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।	
	(a) कम्पनी जमाओं का, जमाओं के किसी भाग का, और देय ब्याज का भुगतान करेगी इसके सिवा कम्पनी को कम से कम 1 करोड़ अथवा अधिकतम 10 करोड़ के अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा। और (b) कम्पनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी को 7 वर्ष तक की कारावास की सजा अथवा कम से कम 25 लाख के तथा अधिकतम 2 करोड़ तक के अर्थदण्ड से अथवा दोनों ही से दण्डीत किया जायेगा। बशर्ते अगे यह साबित किया जाता है कम्पनी के अधिकारी जो दोषी है जानबुझकर प्रावधानों का उल्लंगन किया है या जानबुझकर कम्पनी और उसके अंशधारक व जमाकर्ता व लेनदार व कर अधिकारियों को धोखा देने का इरादा है। वह इस धारा 447 के अधीन कारवाई के लिए उतरदायी होंगे।	पृष्ठ संख्या 6.65
प्रस्ताव व अनुबंध जमा करवा सकते है धारा 117 में	उपधारा (3) में – (i) उपवाक्य (g) में, शब्द "और" घटने के अन्त में लुप्त किया गया (ii) वाक्य (g) के बाद, निम्नलिखित प्रावधान भी सम्मिलित किया गया अर्थात् – "परन्तु कोई भी व्यक्ति धारा 399 के अधिन हकदार होगा निरक्षण करने या इस तरह के	पृष्ठ संख्या 6.160

© The Institute of Chartered Accountants of India

	प्रस्ताव की प्रति को प्राप्त करने के लिए और"	

(4) देखिये मंत्रालय द्वारा अधिसुचित G.S.R. 466(E) दिनांक 5 जुन 2015 को, प्रत्यक्ष रूप से कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधान लागु नहीं किये या लागु किये कुछ अपवादों, परिवर्तन के साथ और कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अधिन कम्पनीयों के लिए अनुकूलन है।

निम्नलिखित धाराए जो अधिसुचना से प्रभावित हुई :

अधिनियम से सम्बन्धित प्रावधान	अधिसुचना के माध्यम से संसोधन	अध्यन्न सामग्री से सन्दर्भीत पृष्ठ संख्या (जुलाई 2015 संस्करण) सम्बन्धित टोपिक के अधिन
धारा 2 (68) में दी गई "निजि कम्पनी"	न्यूनतम अंश पूंजी की आवश्यकता लागु नहीं होगी	पृष्ठ संख्या 6.7
"सार्वजनिक कम्पनी" दी गई है धारा 2(71)	न्यूनतम अंश पूंजी की आवश्यकता लागु नहीं होगा	पृष्ठ संख्या 6.8
वार्षिक साधारण सभा से सम्बंधित प्रावधान धारा 96 (2) के अधिन	उपधारा (2) के अधिन प्रावधान के बाद और व्याख्या (विवरण) से पहले निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित किया गया – यह प्रदान करता है कि AGM का समय, दिनांक और प्रत्येक AGM का स्थान यह पहले से ही बोर्ड के निर्देशकों द्वारा इस सम्बन्ध तय किया जाता है और निर्देश दिये जाते है इस सम्बन्ध कम्पनी द्वारा किसी भी सामान्य सभा में।	पृष्ठ संख्या 6.128
सभा कि सूचना देने से सम्बन्धित प्रावधान दिया गया है धारा 101 (1)	यह शब्द "21 दिन" के लिए शब्द "14 दिन" से प्रतिस्थापित किया गया है।	पृष्ठ संख्या 6.135
"कार्यवृत (मिनट)" दिये गये धारा 118 में	यह पूरा लागु नहीं होगा सिवाय इसके प्रत्येक सभा के निष्कर्ष सभा के 30 दिन के भीतर सुक्ष्म (मिनट) लिखे जायेंगे। कम्पनी के मामले में जहाँ	

© The Institute of Chartered Accountants of India

	पार्षद अर्न्तनियम सुक्ष्म का पुष्टिकरण / प्रमाणीकरण करता है सरक्यलेसन के द्वारा।	

(5) देखिये मंत्रालय द्वारा अधिसुचना G.S.R. 463 (E) दिनांक 5 जुन 2015, प्रत्यक्ष रूप से कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधान लागु नहीं किये गये और कुछ अपवादों व परिवर्तन के साथ लागु किये गये और सरकारी कम्पनी के लिए अनुकुलन

निम्नलिखित धाराए जो अधिसुचना से प्रभावित है।

अधिनियम से सम्बन्धित प्रावधान	अधिसुचना के माध्यम से संसोधन	अध्यन्न सामग्री की पृष्ठ संख्या सन्र्दभ में (जुलाई 2015 का संस्करण) सम्बन्धित टोपिक के अधिन
धारा 4 (4a) में सीमानियम से सम्बन्धित प्रावधान दिये गये	सार्वजनिक कम्पनी के मामले में "लिमिटेड" शब्द व निजि सीमीत कम्पनी के मामले "प्राइवेट लिमिटेड" शब्द सरकारी कम्पनी के मामले ये लुप्त किये गये।	पृष्ठ संख्या 6.25
धारा 56 (1) के अधिन प्रतिभुतियों के अन्तरण/ परिषण से सम्बन्धित प्रावधान	इस प्रावधान के बाद निम्नलिखित प्रावधान भी सम्मिलित किया जायेगा अब तक आवश्यकता है एक निर्धारित प्रारूप मे अन्तरण प्रलेख, पूरी तरह स्टाम्प लगे हुये, निष्पादित है। अन्तरणकर्ता के द्वारा और अन्तरिति के द्वारा। एक सरकारी कम्पनी द्वारा जारी बोन्ड के सम्बन्ध में लागु नहीं होगा। अंतरिती द्वारा निर्दिष्ट सूचना प्रदान की जानी चाहिये उसका नाम, पता, व्यवसाय। अगर कम्पनी ने प्रमाण पत्र के साथ साथ बोन्ड से सम्बन्धित अन्य कोई भी दिया गया है।	पृष्ठ संख्या 6.25
	अगर ऐसा कोई प्रमाण पत्र	

© The Institute of Chartered Accountants of India

	बोन्ड के पत्र के साथ अस्तित्व में है। यह प्रावधान प्रदान करता है कि इसकी उपधारा लागु नही होगी सरकारी नांमकिती के द्वारा प्रतिभुतिया धारण कर रखी है। सरकारी कम्पनी के सम्बन्ध में।	
"अंशो में हितधारी स्वामित्व सम्बन्धि घोषणा" दि गई धारा 89	यह लागु नहीं होगा	पृष्ठ संख्या 6.121
"किन्हीं मामलो में अंशों में लाभकारी स्वामित्व का अनुसंधान" दिया गया धारा 90	यह लागु नहीं होगा	पृष्ठ संख्या 6.123
धारा 96(2) के अधिन AGM से सम्बन्धित प्रावधान	शब्द "जहाँ कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है के शहर में या गाँव में या अन्य किसी दुसरे स्थान पर" शब्द "केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य कोई दुसरा स्थान" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।	पृष्ठ संख्या 6.128

(6) देखिये मंत्रालय द्वारा अधिसुचित G.S.R. 465(E) दिनांक 5 जुन 2015, प्रत्यक्ष रूप से कम्पनी अधिनियम 2013 के कुछ प्रावधान लागु नहीं होंगे और कुछ लागु होंगे कुछ अपवादों और परिवर्तन के साथ, यह अनुकुलित है निधि के लिए

निम्नलिखित धाराए जो अधिसुचना से प्रभावित है।

अधिनियम से सम्बन्धित प्रावधान	अधिसुचना के माध्यम से संसोधन	अध्यन्न सामग्री, में पृष्ठ संख्या के सन्दर्भ में (जुलाई 2015 संस्करण) सम्बन्धित टोपिक के अधिन
धारा 20 (2) के अधिन प्रपत्रो की तामिली से सम्बन्धित प्रावधान	परिवर्तन के बाद विषय लागु किया जायेगा कि उन सदस्यों के प्रपत्र की तामिल की जायेगी जिस अंशधारक ने 1000 से ज्यादा अंकित मुल्य	पृष्ठ संख्या 6.39

© The Institute of Chartered Accountants of India

	वाले अंश धारण कर रखे अथवा कुल प्रदत्त पूंजी में उसका भाग 1 अंश पूंजी की निधि से ज्यादा है। जो भी कम है दोनों में से।	
धारा 42 में प्राईवेट प्लेसमेन्ट के अतिरिक्त उपधारा (1), उपधारा (2) का स्पष्टीकरण (II), उपधारा (4), (6), (8), (9) & (10)	लागु नहीं होगा	पृष्ठ संख्या 6.59
"मताधिकार" दिया गया धारा 47	यह विषय परिवर्तन के बाद लागु होगा कोई सदस्य मतदान में मताधिकार का प्रयोग करेगा कुल इक्वीटी अंशधारकों के मताधिकार के 50% से ज्यादा हो।	पृष्ठ संख्या 6.84
"अंशपूंजी का अतिरिक्त निर्गमन" धारा 62 के अधिन	लागु नहीं होगा	पृष्ठ संख्या 6.84
कम्पनी द्वारा स्वयं के अंशों का क्रय व क्रय के लिए ऋण देने पर प्रतिबन्ध धारा 67(1) के अधिन	यह लागु नहीं होती जब कम्पनी के द्वारा अंशों का क्रय किया गया है। सदस्य से जिसे जमाकर्ता व उधारकर्ता को समाप्त करके इसे पूंजी की कमी के रूप में नहीं लिया जायेगा धारा 66 के अधिन कम्पनी अधिनियम 2013	पृष्ठ संख्या 6.67

(7) देखिये मंत्रालय द्वारा अधिसुचित G.S.R. 464(E) दिनांक 5 जुन 2015 को, प्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रावधान कम्पनी अधिनियम 2013 के लागु नहीं किये गये लागु किये कुछ अपवादों व परिवर्तन के साथ, निधि कम्पनि के लिए अनुकुलन

निम्नलिखित धाराए जो अधिसुचना से प्रभावित हुई है।

अधिनियम से सम्बन्धित प्रावधान	अधिसुचना के माध्यम से संसोधन	अध्यन्न सामग्री में पृष्ठ संख्या से संदभीत (जुलाई 2015 संस्करण) सम्बन्धित टोपिक सहित

© The Institute of Chartered Accountants of India

"अंश पूंजी के प्रकार" धारा 43 में दिया गया "मताधिकार" धारा 7 में दिया गया	यह वहा लागु नहीं होगा जहाँ निजि कम्पनी के पार्षद सीमानियम प्रदान करते है।	पृष्ठ संख्या 6.80 और पृष्ठ संख्या 6.84
धारा 62(1) (a)(ii) & (2) के अधीन अतिरिक्त अंश पूंजी के निर्गमन से सम्बन्धित प्रावधान	यह परिवर्तन के साथ लागु होगा वाक्य (a) के उपवाक्य (i) में निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित किया गया यह प्रदान करता है कि इस धारा कि उपधारा (2) और उपवाक्य में निहित कुछ होते हुये भी निजी कम्पनी के मामले में 90% सदस्य उनकी सहमति दे लिखित रूप में या इलेक्ट्रोनिक मोड में कम अवधि में फिर कहाँ उन निर्दिष्ट लोगों पर यह उपवाक्य और उपधारा लागु नही होगी।	पृष्ठ संख्या 6.84
अतिरिक्त अंश पूंजी का निर्गमन से सम्बन्धित प्रावधान धारा 62 (1)(b) के अधिन	इस शब्द "विशेष प्रस्ताव" को शब्द "सामान्य प्रस्ताव" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।	पृष्ठ संख्या 6.84
"कम्पनी द्वारा स्वयं के अंशों का क्रय के लिए ऋण देने पर प्रतिबन्ध" धारा 67 के अधिन	यह लागु नही होगा निजि कम्पनियों पर (i) जिसकी अंश पूंजी में कोई अन्य निगमित निकाय का निवेश या पेसा है। (ii) ऐसी कम्पनी की उधारकर्ता है बैंक / वित्तिय संस्था/ अन्य कोई निगमित निकाय जिसकी अंश पूंजी दुगने से कम है या 50 करोड़ रूपये जो भी कम है। (iii) इस तरह के कम्पनी पर उधार का पुनः भुगतान की संविदा के समय लेनदेन के स्थापना के समय कोई दोष	पृष्ठ संख्या 6.67

© The Institute of Chartered Accountants of India

	नहीं हो।	
जन निक्षेप स्वीकृती पर निषेध से सम्बन्धित प्रावधान धारा 73 (2) (a) से 73(2) तक के अधिन	यह उन निजि कम्पनियों पर लागु नहीं होगा जो अपने सदस्यों के पेसे को स्वीकार करती है। जो कुल प्रदत अंश पूंजी और स्वतंत्र संचय के 100% से ज्यादा नही है। ऐसी कम्पनी स्वीकार किये गये पेसे का विवरण दाखिल करेगी रजिस्ट्रार को इस तरह के तरीके के रूप निर्दिष्ट किया जा सकता है।	
धारा 101–07 & 109 के अधिन से सम्बन्धित प्रावधान सभा कि सूचना, स्पष्टीकराण कथन के साथ सूचना, गणपूर्ति (कोरम), सभा का अध्यक्ष प्रतिपुरूष (परोक्षी), मताधिकार पर प्रतिबन्ध, हाथों को दिखाकर मतदान और चुनाव की मांग करना सम्मिलित है।	यह लागु नही होगा जब तक किसी विशिष्ट धारा के सम्बन्ध में या अन्यथा कम्पनी के अर्न्तनियम प्रदान करते है।	पृष्ठ संख्या 6.134 से पृष्ठ संख्या 6.156
प्रस्ताव और समझौतो के दाखिल किये जाने से सम्बन्धित प्रावधान दिये गये धारा 117 (3) (9) के अधिन।	यह लागु नहीं होगा।	पृष्ठ संख्या 6.161

8. देखिये सामान्य परिपत्र (सरक्युलर) नम्बर 09/2015 दिनांक 18 जुन 2015 मंत्रालय द्वारा जारी किया गया स्पष्टीकरण कम्पनी अधिनियम 2013 से पूर्व कम्पनियों द्वारा स्वीकार जमाओं पुर्नभुगतान कर देना चाहिये अधिनियम के अनुसार धारा 74 के अधीन और दोषी कम्पनीयों के खिलाफ मुकदमा दायर करे।

सरकार कठिनाइयों (द्वितीय) आदेश को हटाना चाहती है दिनांक 2 जुन 2014 और हटाना चाहती कठिनाइयों (चतुर्थ) आदेश, दिनांक 6 जुन 2014 स्पष्ट किया कि CLB को NCLT की शक्ती का प्रयोग करने के लिए सशक्त किया है। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 73(4) और 74(2) के अधिन, जब तय जारी है।

इस प्रकार धारा 73(4) के अधिन जमाकर्ता स्वतन्त्र है आवेदन दाखिल करने के लिए CLBअ को। जो कम्पनी द्वारा स्वीकार जमाये पुर्नभुगतान करने में कम्पनी असफल हो

© The Institute of Chartered Accountants of India

जाती है और यह भी कम्पनी भी CLB में आवेदन कर और अतिरिक्त समय की मांग कर सकती है स्वीकार जमाओं के भुगतान के लिए धारा 74(2) के अधीन। अधीनियम के अनुसार प्रावधान के लागु होने से पूर्व।

यह भी स्पष्ट किया कि कम्पनियों के रजिस्ट्रार पर कोई प्रबन्ध नही है कम्पनी के खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए। जो कम्पनी उसके द्वारा स्वीकार जमाओं का भुगतान करने में असफल हुई कम्पनी अधिनियम 2013 और कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अधिन। नियम व शर्तों के अधिन जिसके लिए जमाए स्वीकार की गई।

संर्दभ में अध्यन्न सामग्री में पृष्ठ संख्या 6.64 (जुलाई 2015 संस्करण)

9. देखिये अधिसुचना G.S.R. 669 (E), दिनांक 28 अगस्त, 2015 केन्द्र सरकार द्वारा लागु, कम्पनी (प्रबन्धन और प्रशासन) संसोधन नियम 2015 और यह भी संसोधित कम्पनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम 2014, अर्थात –

नियम 23 के उपनियम (1) शब्दों "पाँच लाख रूपये से अधिक नही" के लिए शब्द "पाँच लाख रूपये कम नही" से प्रतिस्थापित कर दिया गया।

सन्र्दभ अध्यन्न सामग्री के पृष्ठ संख्या 6.159 (जुलाई 2015 संस्करण)

10. देखिये अधिसुचना नम्बर G.S.R. 695(E) दिनांक 15 सितम्बर 2015 शक्तियों के प्रयोग के द्वारा दी गई कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 73 और 76 पढे और साथ धारा 469 उपधारा (1) & (2)। केन्द्र सरकार द्वारा अगला संसोधन कम्पनी (स्वीकार जमाए) नियम 2014 कम्पनी (स्वीकार जमाये) द्वितीय संसोधन नियम 2015 के द्वारा लागु किया गया।

वाक्य (C) के उपवाक्य (viii) में, निम्नलिखित स्थित है अर्थात्

"(viii) किसी व्यक्ति से कोई राशि प्राप्त होती है, राशि प्राप्त के समय कम्पनी का कोई निर्देशक या निर्देशक सम्बन्धित निजि कम्पनी के।

प्रस्तुत कि कम्पनी का निर्देशक (संचालक) या संचालक से सम्बन्धित निजी कम्पनी के। जैसा भी मामला हो जिसमें पेसा प्राप्त हुआ है कम्पनी को पेसा देते समय एक स्पष्टीकरण लिखित में प्रस्तुत करे कि यह राशि कोष से नहीं दी जा रही है जो अधिग्रहित कर लिया गया उसके द्वारा उधार लेने, या ऋण स्वीकार करने, या दुसरो की जमाए। कम्पनी विवरण प्रस्तुत करेगी बोर्ड की रिर्पोट में जो पेसे उसके द्वारा स्वीकार किये गये।

सन्र्दभ में अध्यन्न सामग्री की पृष्ठ संख्या 6.62 (जुलाई 2015 संस्करण)

11. देखिये अधिसुचना नम्बर G.S.R. 841(E), दिनांक 6 नवम्बर 2015 केन्द्र सरकार ने लागु किया कम्पनी (अंश पूंजी व ऋणपत्र) तृतीय संसोधन नियम 2015 यह भी संसोधन करने के लिए कम्पनी (अंश पूंजी व ऋणपत्र) नियम 2014।

कम्पनी (अशं पूंजी व ऋणपत्र) नियम 2014 में, नियम 18 में, उपनियम (1) में, वाक्य (a) में, वाक्य (a) में, उपवाक्य (iii) के लिए निम्नलिखित उपवाक्य प्रतिस्थापित किया अर्थात्–

© The Institute of Chartered Accountants of India

"(iii) संरचनागत लेनदार कोष गेर बैकिंग वित्तिय कम्पनी परिभाषित की गई है वाक्य (b) के निर्देश (3) के द्वारा, संरचना लेनदार कोष गैर बैकिंग वित्तिय कम्पनी (संचय बैंक) निर्देश 2011 में।

(iv) केन्द्र सरकार के, विभाग के मंत्रालय द्वारा, भारत के रिजर्व बैंक के द्वारा व घरेलू राष्ट्रीय बैंक व अन्य कोई भी वैधानिक प्राधिकारी के द्वारा कम्पनी को अनुमति दी जाती है 10 वर्ष से ज्यादा के लिए ऋणपत्र निर्गमन करने की।

संदर्भ पृष्ठ संख्या 6.104 अध्यन्न सामग्री से (जुलाई 2015 संस्करण)

12. देखिये अधिसुचना नम्बर G.S.R. 99(E), दिनांक 22 जनवरी 2016 केन्द्र सरकार द्वारा संसोधन नियम 36 के उपनियम (12) के आगे के लिए संसोधित कम्पनी (निगमित) नियम 2014। नियम 36 सम्बन्धित है समामेलन की एकीकृत प्रक्रिया से जो अधिसुचित किया G.S.R. 349 (E) में दिनांक 1 मई 2015 को।

(i) उपवाक्य (b) के बाद सम्मिलित किया गया है –

"(ba) दस्तावेजों की पुन प्रस्तुति के बाद और दुसरे अवसर की पूर्ति के बाद यदि रजिस्ट्रार दस्तावेजों में दोष व अपूर्णता पाता है, तो वह तीसरा अवसर देगा दोष व अपूर्णता को दुर करने के लिए।

दस्तावेजों के पुन प्रस्तुतीकरण के लिए कुल 30 दिनों का समय दिया जायेगा।

(ii) उपवाक्य (c) में शब्द "तीसरा अवसर" विकल्प हो जायेगा। सन्र्दभ अध्यन्न सामग्री में पेरा 1.6 पेज नम्बर 6.18 बिन्दु (ii) (जुलाई 2015 संस्करण)

II. कम्पनी अधिनियम 2013 की सम्बन्धित धाराए जो नवम्बर 2016 की परिक्षा में लागु नही है निम्नलिखित –

Ø- l-	/kkjk uEcj	/kkjk dk 'kh"kZd
1.	धारा – 48	अंशधारकों के अधिकारों में परिवर्तन
2.	धारा – 66	अंश पूंजी में कमी
3.	धारा – 75	धोखाधड़ी के लिए हर्जाना
4.	धारा – 97	ट्रिब्युनल की AGM बुलाने की शक्ती
5.	धारा – 98	ट्रिब्युनल की सदस्यों की सभा बुलाने की शक्ती आदि।
6.	धारा – 99	धारा 96 से 98 के प्रावधानों की पालना करने में दोष के लिए दण्ड।

© The Institute of Chartered Accountants of India

भाग – II : प्रश्न और उत्तर

भाग – A व्यवसाय विधि

अनुबन्ध अधिनियम 1872

1 (a) निम्नलिखित कि कानुनी स्थिति की समीक्षा करे –

(i) मोहित ने अपनी भुमि रू. 128,000 में नेहा को बेचने का प्रस्ताव किया, नेहा ने उत्तर में प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तथा रू. 80,000 का एक चैक संलग्न कर दिया तथा उसने बकाया 1200,000 रू. को 50,000 रू. प्रतिमाह की किश्ते देने का आश्वासन दिया।

(ii) आदित्य ने अपना मकान रू. 1000000 में बबन को बेचने का प्रस्ताव किया। बबन ने जवाब दिया कि वह उस मकान को केवल 800000 रू. में खरीद सकता है। आदित्य ने बबन का प्रत्युतर प्रस्ताव 800000 पर खरीद को अस्वीकार कर दिया, बबन ने बाद में अपना विचार बदल लिया और वह अब उस मकान को रू. 1000000 में खरीदने के लिए तैयार है।

(b) रेड शर्ट टैक्सटाइल ने रिटेल गारमेन्ट शोरूम को 1000 सुती कमीजों की सुपुर्दगी रू. 300 प्रति कमीज की दर से 31 दिसम्बर, 2015 को अथवा उससे पहले देने का अनुबन्ध किया। किन्तु 1 नवम्बर 2015 को रेड शर्ट टेक्साटाइल ने रिटेल गारमेन्ट शोरूम को सूचित किया कि इस दौरान सुती कमीजों की कीमत रू. 350 हो जाने के कारण वह कमीजों की सुपुर्दगी नहीं कर सकेगा। इस सम्बन्ध में रिटेल गारमेन्ट शोरूम के अधिकारों की समीक्षा करें।

2 (a) क्या निम्न कथन में कोई कपट निहित है :–

(i) जहा पर एक भूमि के भाग के विक्रेता के एक सम्भावित खरीद्दार को यह कहा कि उसके विचार में यह भूमि भाग 2000 भेड़ों के लिए हो सकता है जबकि सत्य यह है कि वह भूमि भाग केवल 1500 भेड़ों के लिए ही था।

(ii) X ने एक कम्पनी के अंश उसके द्वारा जारी किये गये प्रस्तावना पत्र पर विश्वास रखकर खरीदे, जिसमें एक असत्य कथन था कि Z नाम का व्यक्ति उस कम्पनी का निदेशक है। X ने Z के बारे में कभी कुछ नही सुना था और यह असत्य कथन की Z उस कम्पनी का निदेशक है और यह तथ्य लिए X कोई महत्व नहीं रखता था। क्या कपट के आधार पर हर्जाना मांग सकता है।

(b) मि. N की xyz बैंक में रू. 2000 मासिक वेतन पर 3 वर्षों के लिए नियुक्त हुई। A ने N के सद्व्यवहार की प्रत्याभुति दी। 9 माह के पश्चात् बैंक की वित्तिय स्थिती खराब हो गई। तब N ने रू. 1500 मासिक वेतन पर अपनी सेवा जारी रखना स्वीकार कर लिया। दो माह पश्चात् पता लगा कि N ने शुरू से ही मुद्रा का गबन किया।

A का क्या दायित्व है?

परक्राम्य विलेख अधिनियम 1881

© The Institute of Chartered Accountants of India

(3) A विपत्र जारी करता है जिसे B स्वीकार कर लेता है यह विपत्र C को या उसके आदेशानुसार पर भुगताया जाना है, C इस विपत्र को D के नाम पर लिख देता है तथा D उसे E के नाम कर देता है जो कि यथा अवधि धारक है।

E किसमें उस विपत्र की राशि वसुल कर सकता है। E के अधिकारों की जाँच करते हुये बतायें कि यथाविधि धारक के अधिकार पर परक्राम्य विलेख अधिनियम 1881 क्या होते हैं?

(4) परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अधीन शिकायत दर्ज कराने के अधिकार का प्रयोग कौन करेगा। संसोधित परक्राम्य विलेख (संसोधन) अधिनियम 2015 के अनुसार स्पष्ट करे।

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

(5) मि ऐगर ने 01–02–2016 को पर्यवेक्षक के पद पर, 13400 प्रतिमाह वेतन पर कार्यभार संभाला और 29.02.2016 को सेवा से त्यागपत्र दे दिया। कम्पनी ने सभी हकदार कर्मचारियों के लिए 20% बोनस की घोषणा की तथा सही समय पर इसका भुगतान कर दिया गया। श्री ऐगर ने तथ्यों जो जानते हुये HRD से बोनस के लिए दावा किया जिसने दावा खारीज कर दिया। बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत दावे की वैधता की जाँच कीजिए।

(6) मि. राम आर्युवैद्धा प्रॉडक्टस लि. में वित्तीय वर्ष 2014–2015 में अस्थायी कर्मचारी था। तथा उसको रू. 6000 प्रतिमाह वेतन मिलता था उसे कम्पनी परिसर के भीतर आक्रामक व्यवहार करने के आधार पर 60 दिन के लिए काम करने से रोक दिया गया तथा उसके विषय जाँच की जा सके। क्योंकि जाँच में उसके विपरित कुछ नहीं मिला तो उसकी सेवाओं को पिछले वेतन के साथ बहाल कर दिया गया। उसने उस वित्त वर्ष के बकाया दस महिने काम किया और उसके उपरान्त कम्पनी से त्याग पत्र दे दिया बाद में जब बोनस का भुगतान अन्य कर्मचारियों को किया गया तो कम्पनी ने मि. राम बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के अधीन बोनस प्राप्त करने का हकदार है।

कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

(7) एक लिमिटेड कम्पनी के कर्मचारी ने भविष्य निधि कमिश्नर के पास अपने भविष्य निधी राशि को प्राप्त करने का दावा प्रस्तुत किया लेकिन उस कर्मचारी के दावे का निपटारा छह माह बीत जाने पर भी नहीं किया गया कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के सन्दर्भ में बताइये की उचित अधिकारी को क्या कार्यवाही करनी चाहिये थी।

(8) कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अधीन नियोजक से देय धनराशि की वसुली की विधि को संक्षेप में समझाइये।

ग्रेच्युइटी (उपादान) भुगतान अधिनियम, 1972

(9) अरूण पब्लिशिंग लिमिटेड में असमा एक कर्मचारी है, 30 वर्ष कि निरन्तर सेवा के बाद 1 जनवरी 2015 को सेवामुक्त हुई। कम्पनी ने असमा को ग्रज्युटी नहीं चुकाई दिसम्बर

© The Institute of Chartered Accountants of India

2015 के अन्त तक। तब असमा ने ग्रेच्युटी की राशि के साथ ब्याज के लिए दावा किया ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम के अधिन तय करे असमा अपने दावे में सफल होगी।

(10) एक कर्मचारी सरकारी प्रतिष्ठान में कार्य करता है जो ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम (1972) के अधिन आता है, उस पर आरोप लगाया चोरी करने का कार्य के दौरान फलस्वरूप उसकी सेवाए समाप्त कर दी गई। इस स्थिति के सम्बन्ध में उसको क्या ग्रेच्युटी का पूरा भुगतान किया जायेगा या अधि भाग हरण किया जायेगा।

dEiuh vf/kfu;e 2013

(11) जोन, एक करदाता एक धनी व्यक्ति था तथा उसे ब्याज तथा लाभांश से बहुत आय थी। उसने तीन निजी कम्पनीयों की स्थापना की तथा प्रत्येक कम्पनी में निवेश कर एक खण्ड (Block) उन कम्पनीयों के ऐजेन्ट के रूप में धारण करने के लिए सहमत हुआ। इन कम्पनीयो द्वारा ब्याज व लाभांश की राशि जोन को कल्पित ऋण के रूप में जाती रही। इस तरह से जोन ने अपनी आय को तीन भागों में बांट दिया जिससे की उसका कर दायित्व कम हो सके। निर्णय दीजिए की किस उद्देश्य के लिए यह तीनो निजि कम्पनियाँ बनाई गई थी। क्या तीनों कम्पनीयों के कानुनी अस्तित्व की अवमानना की जा सकती है?

12 (a) कम्पनी अधिनियम 2013 के सन्दर्भ में उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिनमें एक सहायक कम्पनी अपने नियन्त्रक कम्पनी की सदस्य बन सकती है।

(b) कम्पनी अधिनियम 2013 के सन्दर्भ कम्पनी की सदस्या के समन्ध में निम्न स्थिती की समीक्षा करे

(i) साझेदारी फर्म

(ii) एक दिवालिया।

(13) एक कम्पनी, कम्पनी के रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण करवाना चाहती है एक चार्टर्ड एकाउटेंट की तरह सलाह दे कि केसे यह अपने आप समामेलित करे समामेलन की एकीकृत प्रक्रिया के द्वारा। कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अधीन।

(14) मिरांडा प्राइवेट लिमिटेड कोलकता के पार्षद् सीमानियमों में दिये गये उद्देश्य वाक्य में उसे फल तथा सब्जियों में व्यापार करने के लिए अधिकृत किया गया था लेकिन कम्पनी ने मि. करण के साथ साझेदारी करके स्टील का व्यापार किया तथा घाटा होने के कारण मि. करण के प्रति उसकी देनदारी हो गई बाद कम्पनी में मि. करण के प्रति अपनी देनदारी से इन्कार कर दिया और यह तर्क दिया कि उसका और कम्पनी की साझेदारी शक्ती बाट थी। कम्पनी द्वारा मि. करण को किये गये इन्कार की वैधता की जाँच करे। अपने उत्तर समर्थन के कारण बताये।

(15) मि. अशोक हस्तांतरण ग्रहणकर्ता ने KPMC लिमिटेड के 250 अंश हस्तान्तरणकर्ता मि. दिपक से अधिग्रहित किये पर हस्तान्तरण विलेख मि. दिपक के हस्ताक्षर कपट पूर्ण तथा जाली थे। मि. अशोक ने अपने नाम पर वह अशं पंजीकृत करवा उसमें से 150 अंश मि. संजय को KPMC द्वारा जारी किये गये अंश प्रमाण पत्र के आधार पर बेच दिये। मि.

© The Institute of Chartered Accountants of India

अशोक व संजय को उस कपट का ज्ञान नहीं था। मि. दिपक को अशोक व संजय के उपरोक्त अंशों सम्बन्धित कम्पनी के प्रति क्या अधिकार है।

Hkkx & B uhfr'kkL=

(16) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण (कौंसिल) परिषद का उद्देश्य क्या है? स्पष्ट करे।

(17) "नैतिकता" और "नितिशास्त्र" में क्या अन्तर है?

(18) विपणन में विपणन कार्यपालकों द्वारा नीतीपूर्ण व्यवहार बनाये रखने का क्या कारण है?

(19) एक लेख लिखो।

(i) कार्यस्थल पर "तंग करना"

(ii) पर्यावरण नितिशास्त्र

(20) वित्त अधिकारियों तथा लेखांकन अधिकारियों में अनैतिक व्यवहार के क्या कारण है?

Hkkx & C lapkj

(21) संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिये।

(a) नीतिपूरक संचार के लाभ

(b) संस्था मुख्य

(22) अन्तवैयक्तिक संचार के क्या कार्य होते है? इसकी व्याख्या करो।

(23) "एक बार अनुकुलता के निर्माण कि प्रक्रिया शुरू हो चुकि है मध्यस्थ सहायता करता उनके विशेष के मध्य सर्जनात्मक समाधान उत्पन्न करने की कोशिश करता है" समीक्षा करे इस स्थिती की और इस स्थिती को विस्तार में बताये जो मध्यस्थ प्रश्नों के विरोधों के मध्य समाधान के लिए प्रक्रिया की पालना की जाती है।

(24) सेफ इनवेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड द्वारा मि. अशोक को नियुक्त व अधिकृत किया जाता है कि वह अंशों तथा ऋणपत्रों की बिक्री करेगा तथा हस्तांतरण विलेख पर हस्ताक्षर करेगा ताकी अंशों व ऋणपत्रों का हस्तान्तरण हो सके। वह विलेख बनाते है जो कि "अधिकार पत्र" होगा उस विलेख "अधिकार पत्र" का प्रारूप बनाये।

(25) सिम्फनी प्राइवेट लिमिटेड की वार्षिक साधारण सभा 5 अगस्त 2016 को सामान्य व्यवसाय से सम्बन्धित मामलो पर चर्चा करने के लिए करना चाहती है। इसके अंशधारियों की वार्षिक साधारण सभा को बुलाने के लिए सूचना का प्रारूप तैयार करे।

lfpr mÙkj @ Hkdr

1 (a) किसी अनुबन्ध को पूर्ण करने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों पार्टियों में उस अनुबन्ध की स्वीकारता को किसी ठोस रूप में संप्रेषित कया जाये। किसी शर्त पर स्वीकारता या परस्पर भिन्न या विरोधी शर्तो पर स्वीकार वास्तव में स्वीकारता नहीं होती है। एसी सशर्त स्वीकारता वास्तव में एक अन्य प्रस्ताव है जो कि पहले प्रस्ताव के बदले में किया जा रहा है और उसका प्रस्ताव कर्ता द्वारा स्वीकार करना जाना आवश्यक होता है। यदि मूल प्रस्ताव को एक अनुबन्ध के रूप में परिवर्तित द्वारा स्वीकार किया जाना

© The Institute of Chartered Accountants of India

आवश्यक होता है तो प्रस्ताव करने वाले को उसकी किये जाने वाले प्रस्ताव का पूर्ण ज्ञान होना चाहिये यदि उसको पूरा ज्ञान नही है तो कोई स्वीकृति नही हो सकती है कोई भी स्वीकारिता विशेष रूप से किये गये प्रस्ताव के प्रति होनी चाहिये तभी ही वह अनुबन्ध के रूप में परिपूर्ण हो सकती है। उपरोक्त नियमों को ध्यान में रखते हुये तो हम यह जान सकते है कि इस समस्या का समाधान न निम्न रूप से होगा।

(i) यह वैध स्वीकृती नहीं है इसलिए कोई भी अनुबन्ध नही हो सकता है। यहाँ मोहित ने अपनी भुमि नेहा को 12,80,000 में बेचने का प्रस्ताव किया था। नेहा ने जवाब में उस प्रस्ताव को स्वीकार किया पर केवल 80,000 का चेक जवाब के साथ लगाया और उसने यह आश्वासन दिया कि वह बकाया 1200000 मासिक किश्त 50,000 प्रतिमाह देगी।

वास्तव में यह तथ्य मेरी बनाम मैरट जेसा मामला है इस प्रकार स्थिति को देखते हुये इस मामले जेसा हल है। नेहा अपनी स्वीकृति को लागु नही करवा पाई क्योंकि उसकी स्वीकृती सशर्त थी।

(ii) दी गई स्थिति में आदित्य ने बबन को अपना घर रू. 10,00,000 में बेचने का प्रस्ताव किया था। जिसके जवाब में बबन ने कहा था कि वह उस घर के लिए केवल रू. 800,000 दे सकता है। परिणाम स्वरूप आदित्य द्वारा किया गया प्रस्ताव को बबन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है क्योंकी उसकी स्वीकृती सशर्त है। बाद में जब बबन अपना विचार बदल लेता है और वह उस घर के लिए 10,00,000 देने के लिए तैयार हो जाता है तो यह प्रतिवादी प्रस्ताव बन जाता है और यह अब आदित्य पर निर्भर करता है कि वह बबन के प्रस्ताव का स्वीकार करे या नहीं। यह समस्या वेसी ही है जैसे की युनियन ऑफ इण्डिया बनाम बाहुलाल मामला।

इस मामले विधि द्वारा तय, हल दिया गया जब बाद में बबन अपने विचार बदल कर वह 10,00,000 चुकाने को तैयार हो गया यह बन गया एक प्रतिवादी प्रस्ताव और अब आदित्य यह तय करेगा कि वह स्वीकार करे या नहीं।

(b) इस दी गई समस्या में रेड शर्ट टेक्सटाइल्स ने 1 नवम्बर 2015 को ही अनुबन्ध पूरा न करने का इरादा स्पष्ट कर दिया था, यद्यपि उसके पास अनुबन्ध निष्पादन करने के लिए 31 दिसम्बर 2015 तक समय था। इसलिए इसे सम्भावित अनुबन्ध भंग करते है। रिटेल गारमेन्ट शोरूम 1 नवम्बर 2015 को ही हर्जाने के लिए दावा कर सकता है बिना 31 दिसम्बर, 2015 तक प्रतीक्षा किए। हर्जाने की राशि की गणना रू. 50 प्रति कमीज (रू. 350, 1 नवम्बर को कमीज की कीमत रू. 300 अनुबन्ध में दी गई कीमत) अन्तर 350 और 300 अनुबंध मुल्य।

2 (a)(i) यह समस्या बिसैट बनाम विलिकिन्सन (1927) के तथ्यों पर आधारित है। दी गयी समस्या में भूमि विक्रेता के विचार अनुसार वह भूमि 2000 भेड़ों के लिए है। विक्रेता का कथन केवल उसका विचार है और यह तथ्यों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। इसलिए इसे कपट नहीं माना जा सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) यह समस्या बनाम चैडविक के मामले जैसे तथ्यों पर आधारित है। दी गयी समस्या यद्यपि प्रस्तावना पत्र में एक असत्य कथन दिया गया है पर उस असत्य कथन ने x को अशं खरीदने के लिए प्रेरित नहीं किया था इसलिए कोई भी हर्जाना नहीं मांग सकता है।

(b) भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1872 की धारा 133, यदि ऋणदाता प्रतिभु की सहमति के बिना अनुबन्ध की शर्तो में परिवर्तन कर लेता है तो प्रतिभु अनुबन्ध की तिथि के बाद होने वाले व्यवहारों के प्रति अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। इस विवाद में A, N द्वारा पहले 9 माह के दौरान किये गये गबन के लिए उत्तरदायी है तथा 9 माह के बाद गबन के लिए, जबसे उसका वेतन, कम कर दिया गया था वह उत्तरदायी नही है।

3 परक्राम्य विलेख अधिनियम, 188 की धारा 36 में व्यवती पक्षों के देयता जो यथाविधि धारक के प्रति होती है का वर्णन करती है धारा 36 के अनुसार यथाविधि धारक का अधिकार है कि वह सारे पक्षो को जो कि विलेख द्वारा माने गए है को देय ठहराएगा जब तक विलेख में दी गई राशि की भरपाई ही कर दी जाती है यहाँ पर यथाविधि धारक पूर्वावति पक्षों को अकेले ये या समुह के रूप में उत्तरदायी ठहरा सकता है। पूर्ववर्ती पक्ष में विलेख जारीकर्ता, स्वीकार कर्ता और उस पर आदेश रखने वाले सभी सम्मिलित होते है। इसलिए दी गई समस्या में E जो कि यथाविधि धारक है पूर्ववती पक्षों D व C (जिन्होंने उस पर आदेश दिये है) B (स्वीकार कर्ता) तथा A (जारीकर्ता) से अपनी राशि वसुल कर सकता है।

यथाविधि धारक के अधिकार, परक्राम्य विलेख अधिनियम 1881 के प्रावधानों के अनुसार निम्न होते है :

(i) एक व्यक्ति जिसने हस्ताक्षर करे है वह एक विलेख जिस पर शुल्क टिकट लगा है पर वह अपूर्ण है किसी व्यक्ति को सोंपता है उस व्यक्ति को यथाविधि अधिकार वाले व्यक्ति के विरूद्ध यह कहने का अधिकार नही होता है कि विलेख को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकार के अनुसार नहीं भरा गया है जबकि शुल्क टिकट उस विलेख में दी गई राशि के अनुसार प्रचुर मात्रा में है (धारा –20)

(ii) जबकि एक विपत्र जिसे विपत्र जारीकर्ता के आदेशानुसार किसी भ्रामक व्यक्ति के नाम पर देय है और वह विपत्र उसी लेख में प्रति आदेशित कर दिया जाता है, जिस लेख में जारीकर्ता के हस्ताक्षर है। स्वीकार कर्ता को यह आज्ञा नही है कि क्या यह आरोप लगाए के नाम भ्रामक जबकि यथाविधि धारक को ऐसा कहने का अधिकार है। (धारा 42)

(iii) यदि कोई विलेख या विलेख पत्र यथाविधि को सोंपा जाता है तो अन्य पक्ष जो उस विलेख या विलेख पत्र में नामित है इस आधार पर अपनी देयता से बच सकते है कि वह विलेख का दिया जाना सशर्त था केवल किसी विशेष प्रयोजन के लिए था। (धारा 42 व धारा 47)

(iv) वह व्यक्ति जो किसी विलेख में उत्तरदायी है तो वह किसी यथाविधि धारक के विरूद्ध यह बचाव नही कर सकता है कि वह विलेख गुम हो गया है या वह

© The Institute of Chartered Accountants of India

विलेख उससे किसी अपराध से या कपट से लिया गया है या किसी गैर कानुनी प्रतिफल के आधार पर लिया गया है (धारा 58)

(v) कोई भी वचन पत्र जारीकर्ता और कोई भी विपत्र जारीकर्ता तथा चैक जारीकर्ता तथा कोई भी विपत्र का स्वीकारकर्ता जिसके विपत्र जारीकर्ता के सम्मान में विपत्र स्वीकार किया है किसी उस दावे में जो कि यथाविधि धारक द्वारा जारीकर्ता के उपर किये दावे में उस स्वीकारकर्ता को यह अधिकार नहीं होगा कि वह उस विलेख की वैधता से इंकार करे जैसा कि वह मूल रूप से बनाया गया था (धारा 120)

(vi) कोई भी वचन पत्र जारीकर्ता और कोई भी विपत्र जो कि आदेशानुसार भुगतान के लिए देय है का स्वीकारकर्ता यदि कोई यथाविधि धारक उस स्वीकारकर्ता पर कोई दावा करता है तो उसे यह अधिकार नहीं होगा कि वह भुगतान कर्ता की आदेश लेखन की क्षमता से इन्कार करे (धारा 121)

4 परक्राम्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 142 (2) के अनुसार तथा धारा 138 के अधिन किये अपराध, जो चेक के अनादरण से सम्बन्धित है। इसकी न्यायालय द्वारा जाँच की जायेगी व कोशिश की जायेगी अपने न्यायालय क्षेत्र के अधिन :–

(a) यदि चेक प्रस्तुत किया जाता है संग्रहण के लिए बैंक की शाखा के माध्यम से जहा खाता रखा जाता है जहा अदाता व यथासमय धारक जैसा भी मामला है।

(b) अदाता या यथासमय धारक द्वारा चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है अन्यथा एक बैक खाते के माध्यम से, अदाकर्ता बैंक की शाखा जहा खाता स्थित है अदार्ता का।

स्पष्टीकरण वाक्य (a) के प्रयोजन के लिए, जहा चेक भेजा जाता है संग्रहण के लिए जहा अदाता यथासमय धारक की किसी भी बैंक की शाखा पर तब यह माना जायेगा कि चेक भेजा गया उस बैंक की शाखा पर जहाँ अदाता व यथासमय धारक का खाता स्थित है।

5 बोनस भुगतान अधिनियम 1965 धारा – 8 के अनुसार कर्मचारी बोनस का हकदार होगा यदि उसने उस लेखा वर्ष में कम से कम 30 कार्य दिवस कार्य किया हो। धारा 2 (13) के अधिन एक कर्मचारी को परिभाषित किया गया है कर्मचारी में सम्मिलित है 21000 प्रतिमाह से कम वेतन आहरित करता है।

दिये गये मामले में ऐगर बोनस प्राप्त करने के हकदार है –

धारा 2(13) की शर्त के अधिन लेकिन वह हकदार नही है क्योंकि उन्होंने लेखाकन में 29 दिन से कम कार्य किया। अतः मि. एगर बोनस के लिए हकदार नही है।

6 बोनस भुगतान अधिनियम 1965 की धारा 9 के अनुसार को बोनस प्राप्त करने के लिये अयोग्य कर दिया जायेगा। यदि उसको निम्न कारणों से सेवानिवृत कर दिया गया है :

(a) कपट या।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(b) दगा करने या उग्र व्यवहार कम्पनी कार्य स्थल परिसर में करने पर।

(c) चोरी, गबन या संस्थान की सम्पति को विध्वंस करने पर।

यह प्रावधानों में निम्न कानुनी प्रक्रिया सम्मिलित होगी।

(i) जब कर्मचारी पर उपरोक्त कृत्यों में से कोई कृत्य का आरोप लगा हो, जांच अनिवार्य हो या

(ii) कथित तौर पर दोषी कर्मचारी जांच रिर्पोट प्रस्तुत होने तक पुछताछ की अवधि के लिए निलम्बित कर दिया जाता है। अगर वह दोषी पाया जाता है, वह निलम्बित किया जा सकता है या फिर चेतावनी के बाद, लेकिन निलंबन अवधि की मजदुरी के बिना बहाल कर दिया जाता है। दुसरी अगर वह निर्दोष पाया जाता है तो उसे वापस कार्य पर लेना होगा वह भी पिछले वेतन को मिला कर विभिन्न श्रम विधि के अनुसार जिसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम भी शामिल है।

(iii) इस बात पर कोई फर्क नही पड़ता कि कर्मचारी स्थाई है या अस्थायी।

उपरोक्त प्रावधान से यह साफ हो गया कि अगर कर्मचारी पिछली मजदुरी के साथ वापस कार्य पर लगाया जाता है तो उसे गलत कार्य नहीं किया और इसलिए अयोग्यता उत्पन्न नहीं हुई। इसलिए वह पूर्ण वर्ष का बोनस प्राप्त करने का अधिकारी है। (गेमन इण्डिया लिमिटेड बनाम निरंजन दास (1984)

इसलिए इस उदाहरण में कम्पनी द्वारा मि. राम को बोनस देने से मना करना वैध नही है और मि. राम हर दृष्टि से बोनस भुगतान के अधिन बोनस का हकदार रहेगा और है।

7 भविष्य निधि कोष में जमा की गयी राशि के भुगतान के लिये किये गये सभी दावे जो कि सभी आवश्यक प्रपत्रों के साथ प्रेषित किये गये है का निपटारा 30 दिन के भीतर इस लाभ प्राप्त कर्ता को उसकी राशि का भुगतान कर के किया जाना चाहिये यह निपटारा कमिश्नर द्वारा दावा प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए पर यदि उस दावे में कोई कमी या त्रुटि है तो उस त्रुटि की सूचना दावेदार को 30 दिन के भीतर लिखित रूप में भेजी जायेगी। यदि कमीश्नर किसी दावे का निपटारा बिना समुचित कारण के 30 दिन के भीतर नही करता है तो वह कमीश्नर उस देरी के लिए उत्तरदायी होगा तथा 30 दिन से अधिक दिनों की देरी दण्डस्वरूप 12 % का ब्याज देने के लिए बाध्य होगा और वह ब्याज दावे की पूरी राशि पर देय होगा तथा दिये जाने पर कमिश्नर के वेतन से काट लिया जायेगा।

8. कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 (ई.पी.एफ और विवधि प्रावधान अधिनियम 1952) की धारा 8 नियोक्ता से देय धनराशि की वसूली से सम्बन्धित है। ई.पी. एफ. एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 8 B के अधिक जहा कोई राशि बकाया है धारा 8, ईपीएफ एवं विविध प्रावधान अधिनियम के अधिक तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बकाया धनराशि को निर्दिष्ट करते हुये अपने हस्ताक्षर से एक प्रमाणपत्र, वसुली अधिकारी को भेज सकता हे और ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर वसुली अधिकारी

© The Institute of Chartered Accountants of India

प्रमाण पत्र मे उल्लिखित रकम की वसूली प्रतिष्ठान से अथवास नियोजक से जैसी भी स्थिति है निम्नलिखित एक या अधिक तरीके से कर सकेगा–

(a) प्रतिष्ठान अथवा नियोजक की चल या अचल सम्पति की बिक्री या कुर्की।

(b) नियोजक की गिरफ्तारी और कारागार मे नजरबन्दी।

(c) प्रतिष्ठान अथवा नियोजक की चल या अचल सम्पति के प्रबन्धन के लिए प्राप्तकर्ता नियुक्त करके।

8 B धारा के अधिन सर्वप्रथम प्रतिष्ठान की सम्पति कुर्क या बिक्री की जाएगी और जहाँ प्रमाण पत्र में उल्लेखित पूरी बकाया धनराशि अपर्याप्त हो वहाँ वसूली अधिकारी ऐसी राशि बकाया धनराशि अथवा उसके किसी भाग की वसूली के लिए नियोजक की सम्पति के विरूद्ध कुर्की और विक्रय की कार्यवाही कर सकता है।

धार 8 B (2) के अधिन इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, धारा 8 B (1) के अधिन एक प्रमाण पत्र निर्गमित करेगा। इसक बावजूद भी अन्य किसी माध्यम से बकाया राशि की वसुली के लिए कार्यवाही सही की जा सकती है।

अगली धारा 8 E के अनुसार, किसी धनराशि की वसूली के लिए वसुली अधिकारी को प्रमाण पत्र भेज दिये जाने के बावजुद भी अधिकारी धनराशि के भुगतान के लिए और समय प्रदान कर सकता है और इस पर वसूली अधिकारी इस प्रकार बढाये गये समय की समाप्ति तक कार्यवाही रोक देगा।

9. ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम 1972 की धारा 4(1) के प्रावधान के अनुसार को भुगतान की जायेगी, उपदान एक कर्मचारी (परिभाषित धारा 2(a) में को उसकी सेवा की समाप्ति पर देय होगा जिसमे कम से कम 5 वर्ष तक सतत्/निरन्तर सेवा दी है।

- उसकी अधिवर्षिता पर अथवा
- उसकी सेवा निवृति पर अथवा त्यागपत्र देन पर
- उसकी मृत्यु होने की अथवा दुर्घटना के कारण निः शक्तता पर।

धारा 7(3) के अधिक नियोक्ता ग्रैच्युटी की धनराशि को उसके देय होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर उस व्यक्ति को, जिसे वह देय है भुगतान करने की अवस्था करेगा। चाहे कर्मचारी द्वारा ग्रेच्युटी भुगतान हेतु आवेदन पदत्र दिया गया है अथवा नहीं।

8 अधिनियम की धारा 8 ग्रेच्युटी की वसूली से सम्बन्धित है यदि अधिनियम के अन्तर्गत यदि देय ग्रेच्युटी की राशि निर्धारित समय के अन्दर, नियोक्ता द्वारा अधिकृत व्यक्ति को भुगतान नहीं की जाती है। नियत्रंण अधिकारी उस धनराशि के लिए कलेक्टर निर्धारित समय के व्यतीत हो जाने की तिथि से, ऐसी ब्याज दर से जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई हो, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ, वसूली हेतु प्रमाणपत्र जारी करेगा जैसे भु राजस्व बकाया, पीड़ित व्यक्ति से आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद, अधिकृत व्यक्ति को धनराशि दिलवाने हेतु समर्थ बनाता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

ऐसी वसूली हेतु प्रमाणपत्र जारी करने के पूर्व, नियत्रंण प्राधिकारी नियोक्ता को, ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के विरूद्ध, कारण बताने का उचित अवसर प्रदान करेगा।

इस धारा के अर्न्तगत देय ब्याज की धनराशि, किसी भी मामले मे इस अधिनियम के अर्न्तगत देय ग्रेच्युटी धनराशि से अधिक नहीं होगी।

इस प्रश्न मे कानुन के प्रावधानों के अनुसार, असमा सफल होगी और कम्पनी अरूण पब्लीशिंग लिमिटेड ग्रेच्युटी का ब्याज के साथ भुगतान करेगी।

10. ग्रेच्युटी को कम करना या जब्त करना – ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 की धारा 4 (6) (a) के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान के मामले यदि कोई कर्मचारी द्वारा नियोक्ता की सम्पति की जान बुझकर गलती करके या लापरवाही करके नुकसान या हानि या नष्ट करता है तो ग्रेच्युटी को ऐसे नुकसान यानि हानि की सीमा तक जब्त किया जा सकता है।

दूसरी धारा 4(6) (b) के अधिक, किसी कर्मचारी को देय ग्रेच्युटी की राशि को आंशिक पूर्णत जब्त कर सकते है जहां कर्मचारी सेवाए निम्न आधार पर समाप्त की जा रही है

1. यदि उस कर्मचारी की सेवा की उग्र व्यवहार
2. कोई ऐसा अपराध जो कि चरित्र पतन है वह सेवा के समय के दौरान करता है के लिए निरस्त किया जाता है।
3. चोरी करना चरित्र पतन का अपराध है और यदि किसी कर्मचारी के सेवा के दौरान चोरी करने के अपराध के लिए निरस्त की जाती है तो उसकी ग्रेच्युइटी की राशि सारी जब्त की जा सकती है।
4. जैसा कि धारा 4(6)(b)(ii) में प्रावधान किया गया है।

5- [भारत गोल्डन माईनस लिमिटेड बनाम रीजनल लेबर कमिश्नर (केन्द्रीय 1987 एफ. जे. आर. 11 (कर्नाटक)]

11 हाउस ऑफ लार्ड ने सेलोमेन लि. में निर्णय दिया की कम्पनी अपने सदस्यों से अविच्छीन तथा पृथक है तथा इसलिए अपने सदस्यों से जिन्होंने कम्पनी का गठन किया है स्वतंत्र पृथक कानुनी अस्तित्व है लेकिन कुछ परिस्थितियों में न्यायालय निगमित आवरण को उठा सकता है इसका अर्थ है निगमित आवरण के पीछे झाँकना तथा निगमित अस्तित्व को नहीं मानना जहाँ कम्पनी का निर्माण तथा निगमन कुछ व्यक्तियों द्वारा निगमित प्रकृति के पीछे शरण लेकर करो की चोरी करना है वहा न्यायालय करो की चोरी के मामले में निगमित अस्तित्व की अवमानना करे।

(1) प्रश्न में पूछी गई समस्या उपर्युक्त तथ्यों पर आधारित है। करदाता ने तीन कम्पनियों का गठन करो की चोरी करने के लिए किया था तथा कम्पनियाँ करदाता से अलग कुछ भी नहीं थी। इसलिए मि. जोन का इरादा कर की चोरी करने के इरादे से तीन भागों में बाँटने का था।

(2) तीन कम्पनियों के कानुनी व्यक्तित्व की अवमानना की जा सकती है क्योंकि इनका निर्माण केवल करों की चोरी करने के लिये किया गया था तथा कम्पनी करदाता से अधिक कुछ नही थी। उन्होंने कोई व्यापार नहीं किया, लेकिन केवल ब्याज तथा लाभांश को आय को प्राप्त करके उसे करदाता को कल्पित ऋण के

© The Institute of Chartered Accountants of India

रूप में वापस करना था ऐसा निर्णय सर दिन शॉ मानेक जी पेटिट AIR 1927 बम्बई 371 तथा जुग्गी लाल बनाम आयकर आयुक्त AIR (1969) ST (932) के विवाद में न्यायालय द्वारा किया गया था।

12 (A) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 19 के अनुसार सहायक कम्पनी द्वारा सुत्रधारी कम्पनी में अंशों के धारण को प्रतिबंधित करती है और कोई भी सुत्रधारी कम्पनी अपनी सहायक कम्पनी को अपने अंशों का आंवटन अथवा अंतरण नहीं करेगी और ऐसी सहायक कम्पनी को अंशों के आवंटन अथवा अंतरण व्यर्थ होगा, किन्तु निम्नलिखित दशाओं में इस धारा के प्रावधान लागु नहीं होंगे –

(a) जहां सहायक कम्पनी के पास अंशो की धारिता सुत्रधारी कम्पनी के मृतक सदस्य के वैधानिक प्रतिनिधि के रूप में हों अथवा

(b) जहा सहायक कम्पनी ऐसे अंशों का धारण ट्रस्ट के रूप में करती है अथवा

(c) सहायक कम्पनी तब से सदस्य है जब ऐसी कम्पनी सुत्रधारी कम्पनी की सहायक कम्पनी नही थी।

(B) कम्पनी की सदस्यता के सम्बन्ध में निम्नलिखित की स्थिति –

(i) साझेदारी फर्म – कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(55) परिभाषित करता है एक सदस्य जो एक अभिदाता के रूप पार्षद सीमानियम में है जिसका नाम कम्पनी के समामेलन के बाद पूर्व सदस्यों के रजिस्ट्रर में दर्ज किया गया है।

प्रत्येक व्यक्ति जो लिखित में सहमत है कम्पनी का सदस्य बनने के लिए और जिसका नाम, कम्पनी के सदस्यों रजिस्ट्रर में दर्ज किया जाता है। अन्य कोई भी व्यक्ति जो अंशों को धारण करता है जिसका नाम निक्षेपगार के अभिलेखों में हितधारी स्वामी के रूप में दर्ज है।

फर्म कम्पनी के अंशों को रख सकती है शर्त उसका नाम सदस्य के रूप में सदस्यों के रजिस्टर में लिखा जायेगा। एक अनिगमित संस्था होने के कारण एक फर्म एक व्यक्ति नही है अतः इसका नाम अंशधारियों के रजिस्ट्रर में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन एक कम्पनी में अंश साझेदारों के व्यक्तिगत नाम में संयुक्त अंशधारियों के रूप में रख सकती है। यह सीमित साझेदारी फर्म में लागु नही होगा (गणेश दास राम गोपाल U/S R.G. कॉटन मिल्स)

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8(3) के अधिन एक फर्म सदस्य बन सकती है एक समामेलित कम्पनी की धारा 8 के अधिन एक कम्पनी गठित है धर्माथ या सामाजिक उधम के रूप में (आई. ई.)

(ii) दिवालिया – एक दिवालिया कम्पनी का सदस्य बन सकता है। जहाँ तक उसका नाम सदस्य रजिस्टर में सम्मिलित है। वह कम्पनी का सदस्य है तथा मत देने का अधिकारी भी। चाहे उसके अंश सरकारी प्रापल में निहित (Vested) हो गये हो। (मॉरगन हाउस ग्रे) अंशों का आबंटन अथवा हस्तान्तरण सोदे के लिए प्रतिभुति के रूप में था।

13 देखिए अधिसुचना G.S.R. 349(E) दिनांक 1 मई 2015, केन्द्र सरकार प्रवर्तन के माध्यम से कम्पनी (निगमित) संसोधन नियम 2015, इसमें सम्मिलित सम्बन्धित नियम 7A और

© The Institute of Chartered Accountants of India

नियम 36 कम्पनी (निगमित) नियम 2014 से, धारा 3, 4, 5 और 7 की शक्तीयों का प्रयोग करते हुये और साथ पढ़े कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 469 की उपधारा (1) & (2)।

नियम 36 समामेलन की एकीकृत प्रक्रिया –

(1) कम्पनी के समामेलन के लिए फार्म भरने को सरल बनाने के लिए एकीकृत प्रक्रिया लागु कि गई यह 1 मई 2015 से प्रभाव में है।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, निर्देशक पहचान संख्या के आवंटन के लिए आवेदन करने के लिए, 3 निर्देशकों तक, नाम के आरक्षण कम्पनी का समामेलन और प्रस्तावित कम्पनी के निर्देशकों की नियुक्ती के लिए एकीकृत फार्म नम्बर INC – 29 जमा करवाना होगा। एक व्यक्ती कम्पनी, निजि कम्पनी, सार्वजनिक कम्पनी, और निर्माता कम्पनी के लिए जहाँ कम्पनी स्थित है उसके रजिस्ट्रार क्षेत्राधिकार के भीतर पंजीकृत कार्यालय पर फार्म जमा करवाना व साथ में पंजीकरण शुल्क 2000 रूपये जो विशिष्ट दिया गया है कम्पनी (पंजीकृत कार्यालय और शुल्क) नियम 2014

(3) एकीकृत निगमित फार्म जमा करवाने के प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से अधिकतम 3 निर्देशकों को फार्म नम्बर INC – 29 जमा करवाने की अनुमति है और अधिकतम 3 प्रस्तावित निर्देशकों को DIN आवंटित करने की अनुमति है फार्म INC – 29 में उन प्रस्तावित निर्देशकों DIN नहीं होने के मामले में मंजुरी दी जायेगी।

(4) प्रस्तावित कम्पनी के प्रर्वतक या आवेदक केवल एक ही नाम प्रस्तावित कर सकते है ई – फार्म नम्बर INC-29 में।

(5) प्रस्तावित कम्पनी के प्रवर्तक व आवेदक तैयार करेंगे टेम्पलेट्स पार्षद सीमानियम के फार्म नम्बर INC - 30 में और पार्षद अर्न्तनियम के टेम्पलेट्स फार्म नम्बर INC -31 में। प्रावधान के नियम 13 में तैयार करना पार्षद अर्न्तनियम और पार्षद सीमानियम।

(6) प्रवर्तक व आवेदक हस्ताक्षर करेगा व गवाह बनेगा, पार्षद सीमानियम और पार्षद अर्न्तनियम के फार्म डाउनलोड करेंगे निगमित मंत्रालय की पोर्टल से स्पष्ट स्केन करेंगे और प्रावधान का नियम – 16 पार्षद सीमानियम व पार्षद अर्न्तनियम तैयार करना के अनुसार फार्म के साथ ई – फार्म INC – 29 भी साथ लगायेंगे।

(7) फार्म नम्बर INC – 29 में सुविधा है निगमन के एकीकृत आवेदन के लिए यह एक विकल्प उपलब्ध करवाता है अलग से आवेदन के लिए यह आवंटित करता है निर्देशक पहचान नम्बर, नाम का आरक्षण, और उपलब्ध नियमों के अनुसार कम्पनी का निगमन।

(8) इस नियम के प्रावधानों का उपयोग कर कम्पनी अपने पंजीकृत कार्यालय पर सत्यापन प्रस्तुत कर सकती है अधिनियम कि धारा 12 की उपधारा (2) के अधिन। ई फार्म INC – 29 जमा करवाना जिस मामले में कम्पनी इस ई फार्म

© The Institute of Chartered Accountants of India

INC -29 के साथ संलग्न करेगी जो निर्दिष्ट किया गया नियम 25 के उपनियम (2) में।

(9) जहाँ प्रस्तावित कम्पनी स्थित है वहा के क्षेत्राधिकार के भीतर पंजीकृत कार्यालय के रजिस्ट्रार के पास प्रक्रिया से DIN के आवंटन के लिए INC – 29 के साथ आवेदन करना होगा।

(10) जहाँ रजिस्ट्रार ई फार्म INC - 29 की जाँच करता है और पाता है कि यहाँ और अधिक आवश्यक जानकारी देने के लिए या यह आवेदन व (अन्य प्रपत्र) दस्तावेज दोषपूर्ण पाता है या किसी भी संबंध मे अपूर्ण है तो वह आवेदक को दोषों को दुर करने के लिए सूचना देनी होगी और ई फार्म को वापस जमा करवाना होगा 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार ने सुचना उस दिन से।

(b) दस्तावेजों के वापस जमा करवाने के बाद भी रजिस्ट्रार अभी भी दस्तावेजों को दोषपूर्ण या अपूर्ण, किसी भी सम्बन्ध में पाता है तो उसे एक और 15 दिन का अवसर दिया जायेगा जिससे वह दोषों व कमीयों को दुर कर सके।

(c) इस मामले में रजिस्ट्रार को विकल्प है कि दस्तावेज किसी भी सम्बन्ध में दोषपूर्ण या अपूर्ण दो अवसर दिये जाने के बाद प्रस्तावित कम्पनी का ई फार्म INC – 29 को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(11) रजिस्ट्रार समामेलन का प्रमाण पत्र फार्म INC – 11 में जारी कर देगा।

14 कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 4(1)(c) के अधिन कम्पनी की शक्तियाँ निम्न सीमा तक सीमित होती है –

(i) वह शक्तीयाँ जो कि कम्पनी के सीमानियम के उद्देश्य उपनियम से प्राप्त होती है। जिन्हें स्पष्ट प्रकट शक्ती कहा जाता है) या वह शक्ती होती है जो उसे कम्पनी अधिनियम या अन्य किसी विधान से प्राप्त होती है और वह शक्तियों जो उचित कारणों से अन्य शक्तीयो के समस्थ है या आवश्यक है ताकि कम्पनी का मुख्य उद्देश्य प्राप्त कर सके। जिनको निहित शक्तियाँ कहा जाता है।

इस अधिनियम में आगे दिया गया है कि वह सारे कृत्य जो कि कम्पनी को प्राप्त शक्तियों से अधिक है या बाहर है वह सारे कृत्य शक्ती बाह होते है और शुन्य होते है। तथा ऐसे कृत्यों की पुष्टि नही की जा सकती है चाहे कम्पनी के सारे सदस्य उस कृत्य के लिए अपनी सहमती प्रदान कर देवें। (ऐशभुरी रेलवे कैरीम कम्पनी बनाम रिपि)

कम्पनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है और यह कम्पनी के सीमानियम के उद्देश्य वाक्य से प्राप्त शक्तियों के अनुसार कार्य करता है।

प्रत्येक व्यक्ति जो कि किसी कम्पनी के साथ नियम पत्र संबंधी कार्य करता है तो यह माना जाता है कि वह आदमी कम्पनी के उद्देश्य वाक्य से अवगत है, उसने कम्पनी के सीमा नियम व कम्पनी के अर्न्तनियम का निरक्षण कर लिया है ताकि सही नियम पत्र

© The Institute of Chartered Accountants of India

संबंधी समझौता है। अगर यह करने में असर्मथ हो जाता है यह पूरी तरह उसकी गलती होगी।

यह ध्यान देने योग्य है कि कम्पनी का उद्देश्य वाक्य में बदलाव कम्पनी के सीमानियम को परिवर्तित करके किया जा सकता है (धारा – 13)

मिरांडा प्राइवेट लिमिटेड केवल फल सब्जीयों का सीधा व्यापार कर सकती है जो कि उसका उद्देश्य वाक्य है। इस कम्पनी को शक्ति प्राप्त नहीं है कि वह मि. करण के साथ साझेदारी करके लोहे और स्टील का व्यवसाय करे। इस कृत्य को किसी भी रूप में कम्पनी को प्राप्त स्पष्ट तथा निहित शक्तियों के अधीन नही माना जा सकता है और यह कृत्य में मिरांडा प्राइवेट लिमिटेड की प्राप्त शक्तियों से बाह है मि. करण जिसने इस कम्पनी के साथ साझेदारी की थी को उपरोक्त के संदर्भ में यह ज्ञातव्य था कि कम्पनी को ऐसा करने की शक्ति प्राप्त नहीं है।

उपरोक्त मे मिरांडा प्राइवेट लिमिटेड से मि. करण यह अनुबन्ध या देयता लागु नहीं करवा सकता है न ही उसका अनुपालन करवा सकता है यह निष्कर्ष, गंगामाता रिफाइनरी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के मामले में सी. आई. टी. द्वारा किये फैसले का समर्थन पाता है।

यहा यह ध्यान देने योग्य बात है कि कम्पनी का उद्देश्य वाक्य में बदलाव कम्पनी के सीमानियम को परिवर्तित करके किया जा सकता है। (धारा 13)

इस प्रकार अनुबन्ध अधिनियम 1872 में जहा एक व्यक्ति किसी अनुबन्ध के अभाव में, या एक शुन्य समझोते के तहत किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त कर लेता है तो इस तरह के लाभ के मुख्य के लिए एक उचित भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

15 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 46(1) के यह ऐसा प्रमाण पत्र जो कम्पनी की सार्वजनिक मुद्रा के अधीन निर्गमित किया गया है तथा हस्ताक्षर किये गये है कम्पनी के दो निर्देशकों द्वारा या एक निदेशक या एक कम्पनी सचिव द्वारा जो नियुक्त किया गया है कम्पनी द्वारा। किसी व्यक्ति द्वारा धारित अंशों की संख्या को निर्दिष्ट करता है, उस व्यक्ति के अंशों पर स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगा। इसलिए आमतौर पर जिस व्यक्ति को यह प्रमाण पत्र जारी किया गया है वह हर प्रकार से उन अंशों का कानुनी स्वामी है और कम्पनी उसके स्वामित्व को अस्वीकार नहीं कर सकती है।

हालांकी एक कपटपूर्ण हस्तान्तरण शुन्य होता है। यह हस्तान्तरिती मि. अशोक को अंशों का स्वामित्व प्रदान नहीं करता। इसी प्रकार मि. अशोक द्वारा किया गया हस्तान्तरण (मि. संजय को) भी अंशों के स्वामित्व का अधिकारी नहीं बना सकता क्योंकि हस्तांतरिणी का अधिकार भी विक्रेता के जितना ही होता है।

लेकिन कपटपूर्ण हस्तान्तरण द्वारा हस्तान्तरण ग्रहणकर्ता अशोक को अंशो का स्वामित्व नही मिला था। यदि कम्पनी कपटपूर्ण हस्तान्तरण पर कार्यवाही करती है और उस अंशों के वास्तविक मालिक मि. दिपक का नाम सदस्यो के रजिस्ट्रर से हटा देती है तो कम्पनी उसे (दिपक) नाम को सदस्यो के रिजस्ट्रार में अंशधारक के रूप में लिखना पड़ेगा तथा

© The Institute of Chartered Accountants of India

उसे वह अंश लाभ देना होगा जो कि उसे मिलना चाहिये था (घर्टन बनाम नार्थ स्टाफ्रओडशेयर रलवे कम्पनि 3&chD456)

उपरोक्त दिये गये मामले में, हालांकि दीपक को अपना नाम कम्पनी के सदस्यों के रजिस्ट्रार में लिखे जाने का अधिकार है लेकिन न ही अशोक को और न संयज दोनों की कम्पनी के खिलाफ कोई अधिकार हे क्योंकि दोनों ही प्रामाणिक क्रेता है।

क्योंकि दीपक अपराधकर्ता है वह अपराधी होने के लिए और अशोक व संजय को मुआवजा देने का उत्तरदायी होगा।

16 केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण (कोंसिल) परिषद का उद्देश्य उपभोक्ता के हितों का संर्वधन एवं संरक्षण करना है विशेष रूप में निम्न विषयो में :–

(i) उन वस्तुओं के विपणन तथा उन सेवाओं के विपणन जो कि जीवन तथा सम्पति के लिए जोखिम दायक है को रोकना तथा उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना।

(ii) उपभोक्ता के इस अधिकार की रक्षा करना कि उसे उत्पाद की गुणवता संख्या या तेल उस उत्पाद की क्षमता, शुद्धता तथा मानक तथा उत्पाद या सेवा के मूल्य को बताया जाये ताकि उपभोक्ता को अनुचित व्यापारिक चलन से बचाया जा सके।

(iii) उपभोक्ता के इस अधिकार की रक्षा करना कि वह अस्वस्थ हो सके या जो भी सम्भव हो विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं तक उसकी पहुँच के अधिकार की रक्षा कारना तथा ऐसे उत्पादों तथा सेवाओं को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर उसे उपलब्ध हो सके।

(iv) उपभोक्ता की सुनवाई की जायेगी और उसे यह आश्वासन प्रदान करना कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा की जायेगी तथा उसकी शिकायत पर उचित स्तर पर निपटारा किया जायेगा।

(v) अनुचित व्यापारिक अभ्यासों को उसकी शिकायतों का निपटारा करवाने का अधिकार।

(vi) उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार।

17 नेतिकता बनाम नितिशास्त्र (Moral Vs. Ethics) नैतिकता तथा नीतिशास्त्र में निम्न बिन्दुओं पर अन्तर होता है –

(i) शब्द नीतिशास्त्र को पुरातन ग्रीक शब्द "इचिका" से लिया गया है जिसका अर्थ होता है चरित्र यानि चाल चलन, शब्द मॉरल (नैतिकता) को लेटिन शब्द "मास" से लिया गया है जिसका अर्थ होता है प्रथा या प्रचलन।

(ii) चरित्र किसी व्यक्ति या व्यक्ति समुह की आदतों या उन आदमों के मुल्य का सार होता है यह ठीक या गलत कि सिद्धान्तों के प्रयोग या विश्लेषण पर

© The Institute of Chartered Accountants of India

आधारित है या अच्छाई या बुराई था उत्तर दायित्व रूप से कार्य करने पर आधारित होता है। नैतिकता की ठीक या गलत से सम्बन्धित परिभाषा है।

(iii) चरित्र एक व्यक्तिगत अवधारणा है जबकि प्रथा या प्रचलन को लम्बी अवधि के उपरान्त किसी समुह द्वारा परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के रूप में यह माना जाता है कि व्यक्तियों का चरित्र होता है और समाज की प्रथायें या प्रचलन होता है।

(iv) नैतिकता को किसी अधिकारी द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। जैसे कि सांस्कृतिक या धार्मिक व्यवस्था जब कि नीतिशास्त्र को इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि वह व्यक्तिगत सिद्धान्तों पर आधारित होते हैं। कोई नितिशास्त्र पर आधारित विचार किसी व्यक्तिगत औच्यित के विचार पर आधारित होते है जिसे सामाजिक स्वीकृति के बिना नही अपनाया जा सकता है। नैतिक सिद्धान्तों को सामान्यतया साधारण नियम या व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है जैसे कि "सदा सत्य कहें

(v) नैतिकता – नीतिशास्त्र से कम स्तर पर कार्यरत रहती है वह नैतिकता अधिक विश्वसनीय रूप में मानवीय आवश्यकताओं जैसे कि किसी के साथ जुड़ना उसका अनुसरण करना आदि जबकि नितिशास्त्र का व्यापक आधार होता है।

18 नीतिपूर्ण व्यवहार करने का कारण (Pragmatic reasons for mainaing ethical behavour) – विपणन कार्यपालकों का नितिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए क्योंकि यह नैतिक रूप से सही है। विपणन में नैतिक व्यवहार को बनाये रखने के लिए निम्नलिखित सकारात्मक कारण लाभदायक सिद्ध हो सकते है।

(i) विपणन में घटे हुये जन विश्वास को कम करने के लिए –

प्राय हम धोखा देने वाली पेकिंग, लेबल, विज्ञापन में झुठे गलत दावों व कानों को प्रिय लगने वाली सूचि, दीर्घकालीन से स्थापित व्यापारिक चिन्हों के गलत प्रयोग की खबरे सुनते रहते है इस प्रकार आचरण बाजार की साख कम कर देता है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए बाजार के नेताओं को लोगो को सन्तुष्ट करने के लिए यह प्रदर्शित करना होगा कि वे नितिगत दायित्वों के प्रति जागरूक है वह उन्हें पूरा भी करना होगा। कम्पनियों को उच्च नैतिक मानक स्थापित करने चाहिये व लागु करने चाहिए इससे अधिक यह उनके हित में होगा की वे उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित करने के लिए चिन्तित रहे क्योंकि वे व्यापार की प्राणवायु हैं

(ii) सरकारी हस्तक्षेप से बचने के लिए – हमारी राजनितिक स्वतन्त्रा की तुलना में आर्थिक स्वतंन्त्रता का मूल्य अधिक है। व्यापारिक उदासीनता प्रतिरोध अथवा अनीतिपूर्ण व्यवहार के प्रति प्रतिकात्मक प्रत्युत्तर और अधिक सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाता है। वास्तव में विपणन में अधिकांशतः सरकारी हस्तक्षेप नीतिपूर्ण दायित्वों को न निभाने में असफल होने की स्थिति में ही होता है और एक बार

© The Institute of Chartered Accountants of India

किसी भी प्रकार का सरकारी नियन्त्रण प्रारम्भ हो जाये तो समाप्त होने का नाम नहीं लेता है।

(iii) समाज द्वारा प्रदान की गई शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए –

विपणन कार्यपालकों को समाज से इस कारण से शक्ति प्राप्त है कि वे न केवल बाजार को प्रभावित करते है आर्थिक मुदों पर अपने विचार रखते है। फिर भी उनकी इस शक्ति के साथ उसका दायित्व भी जुड़ा रहता है। यदि विपणनकर्ता अपनी शक्ति का उपयोग समाज को स्वीकार्य तरीके से नही करता है तो कुछ समय पश्चात् उसकी शक्ति लोप हो जायेगी।

(iv) संगठन की छवि को बचाने हेतु – प्रायः क्रेता पूरे संगठन के प्रति एक व्यक्ति से संपर्क के आधार पर उसके बारे में अवधारणा बनाता है अधिकांश दशाओं में उससे अधिक नहीं, वह व्यक्ति विपणन कार्यों की दर्शाता है। आप किसी एक खुदरा स्टोर के किसी बिक्रीकर्ता के व्यवहारों से उसके प्रति राय कायम कर लेते है।

अतः विपणन में नैतिक व्यवहार को विपणन कार्यपालकों के व्यवहार द्वारा सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

19 (i) कार्यस्थल पर "तंग करना" (शोषण करना) :– तंग करने से आशय

किसी व्यक्ति के साथ लगातार हस्तक्षेप करके या धमकाकर मानसिक वेदना पहुंचाना है। कानुन ऐसे कार्य तथा आचरण की मनाही करता है जो धमकी, धुर्तता, उग्र भावना वाला या आक्रामक कार्य वातावरण उत्पन्न करना हो जो कि एक व्यक्ति को काम पर रखने कि शर्त हो गर्भित या स्पष्ट रूप से या ऐसा व्यवहार जिसका उद्देश्य या प्रभाव अनुचित रूप से किसी व्यक्ति कार्य निष्पादन में हस्तक्षेप करना, धमकी देना, उग्र भावना वाला या आक्रामक कार्य वातावरण उत्पन्न करना है। अन्य प्रकार का उत्पीड़न है – यौन सम्बन्धि स्थतियाँ जिसमें एक कर्मचारी को दुसरे कर्मचारी योन सम्बन्धी मांग को पूरा करने के लिए विवश किया जाता है। नियोजन के लाभों को मना करके जैसे पदोन्नति, वृद्धि या नौकरी भी। योन – उत्पीड़न वर्जित है और एक नियोक्ता कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले यौन उत्पीड़न के लिए उत्तरदायी है चाहे नियोक्ता की जानकारी थी या जानकारी होनी चाहिये थी कि योन उत्पीड़न हो रहा है और इसके बावजुद भी कि योन उत्पीड़न नियोक्ता द्वारा वर्जित किया हुआ है।

(ii) पर्यावरण नितिशास्त्र पर लेख :–

प्रदुषण की समस्या तथा अन्य पर्यावरण सम्बन्धी विषयों को हमारे कर्तव्यों के सन्दर्भ में देखा जा सकता है कि हम पर्यावरण प्रणाली को कितना महत्व प्रदान करते है क्योंकि हम पर्यावरण प्रणाली द्वारा उत्पन्न किये वातावरण में रहते है। पर्यावरण प्रणाली एक समन्वित तथा एक दुसरे पर आश्रित जीवधारी तथा वातावरण है जो कि दुसरे से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि उनका अलग

© The Institute of Chartered Accountants of India

अस्तित्व रह ही नहीं जाता है। जैसे कि एक झील में मछली रहती है और छोटे छोटे जलीय जीवधारियों को खाकर जीवित रहती है वह छोटे जलीय जीवधारी जल में गलसड़ रही वनस्पति पर तथा बेकार मछलियों पर जीवित रहते है क्योंकि पर्यावरण प्रणाली के विभिन्न भाग एक दुसरे से सम्बन्धित है इसलिए इनमें से किसी भी भाग द्वारा किये गये कार्याकलाप दुसरे भाग को प्रभावित करेंगे व्यापारिक तथा सामाजिक संस्थान एक उच्चतर पर्यावरण प्रणाली के भाग है।

व्यापारिक संस्थान अपने प्राकृतिक वातावरण पर आधारित होते है तथा ऊर्जा प्राकृतिक संसाधनों तथा अपने कचरे का निपटारा करने के लिए उस वातावरण पर ही निर्भर होते है जबकि वातावरण व्यवसायिक संस्थाओं की गतिविधियों से प्रभावित होता है जब तक व्यापारी इस प्रकार की निर्भरता को महत्व नही देता तो पर्यावरण प्रणाली पर जो उसका आश्रय और निर्भरता है और जिस वातावरणों में यह व्यापारीक संस्थान कार्यारत है तो उन दोनों में संतुलन वह समन्वय नहीं होगा तो व्यापार की सदा ही समस्या बनी रहेगी इसलिए व्यापार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके कार्यालयों से पर्यावरण प्रणाली को कोई क्षति न पहूँचे और उसकी व्यापारिक गतिविधियाँ प्रदुषण को बढ़ावा न दे।

पर्यावरण नीतिशास्त्र इस विचार पर आधारित है कि पर्यावरण की रक्षा की जानी चाहिये पर न केवल मानवहित के लिए बल्कि उसकी रक्षा स्वयं उसके लिए की जानी चाहिए। पर्यावरण नीतीशास्त्र केवल वातावरण की सुरक्षा से ही सम्बन्धित नही है या प्रकृति की रक्षा करना ही नहीं है यह संसाधनों जो कि बहुत ही सिमित है के उपयोग और संरक्षण से भी सम्बन्धित है और प्रदुषण नियंत्रण व सके उत्तम प्रबन्धन से भी सम्बन्धित है। यह नीतीशास्त्र मानव की मुख्य और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से भी सम्बन्धित हैं और ऐसे संसाधनों के सद्उपयोग पर आधारित है वैश्विक तापमान, ओजोन (पराबैंगनी) का क्षरण और हानिकारक कचरे के निपटारतः जो की सारे विश्व को प्रताड़ित करता है से भी सम्बन्धित है। इस पर्यावरण नीतिशास्त्र के अनुकरण को प्रोत्साहित करने के लिए अर्न्तराष्ट्रीय संयोग तथा वैश्विक स्तर पर इसको अपनाने की योजना को बनाना चाहिये।

20 अनैतिक व्यवहार के निम्नलिखित कारण है :–

(1) लघुकालीन परिणामों पर अधिक जोर –

यह बहुत सी कम्पनियों जैसे एनरॉन तथा वर्ल्डकाम के पतन का मुख्य कारण बना है।

(2) छोटे – छोटे अनैतिक व्यवहारों की अवहेलना करना – यह एक सर्व सामान्य तथ्य है कि अधिकांश समझौते करते समय तो वे छोटे होते है किन्तु वे एक बड़ी कठिनाई में फंसा देते है। समान रूप से एक कम्पनी के लिए एक नैतिक वातावरण विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें छोटी सी भी भुल को

© The Institute of Chartered Accountants of India

गंभीरता से लिया जाये। जिससे भविष्य में वे गलतियाँ दुबारा नहीं अन्यथा इस प्रकार की छोटी गलतियों की अनदेखी करना बड़ी समस्या को बुलावा देने के समान है।

(3) आर्थिक चक्र

अच्छे समय मे कम्पनियाँ लेखांकन क्रियाओं अथवा प्रकटीकरण को कम महत्व देती है। क्योंकि उस समय सभी कुछ ठीक है का मिथ्या आभास होता है। लेकिन कठिनाईयों के समय चोट बहुत गहरी होती है – लगभग जानलेवा जैसा कि एनरॉन कम्पनी की दशा में सिद्ध हुआ। अतः कम्पनियों को आर्थिक चक्र के बारे में सोचा चाहिए तथा अच्छे बुरे समय में सावधान रहना चाहिए।

(4) लेखांकन नियम :–

वैश्वीकरण तथा अधिक मात्रा में बाहरी देशो से पूंजी मिलने के कारण पहले से अधिक लेखांकन के नियम बदल रहे है। अब नियम अधिक पेचीदा बन गये है तथा आवश्यकताओं के इन जटिल समुह से परिवर्तन को पहचानना अत्यधिक कठिन हो गया है। इन सिद्धान्तों और नियमों की जटिलता और इनके दुरूपयोग में पहचानने से जुड़ी समस्याए ही अनैतिक व्यवहार को बढ़ावा देती है।

21 (अ) नीतिपुरक संचार के लाभ :–

नीतिपूरक संचार दीर्घकालीन व्यापारिक सफलता तथा लाभदायकता बढ़ाता है लेकिन केवल लाभ बढ़ाना ही नीतिपूरक संचार का कारण नहीं हो सकता है। जैसे नितिपूरक संचार कि लागत उससे होने वाले लाभ से अधिक हो जायेगी, नीतिपूरक संचार सम्भव ही नहीं हो पायेगा। नितिपूरक व्यवहार एक दीर्घकालीन प्रतिष्ठा है। अध्यापन्न रिर्पोट से पता चला कि सभी कर्मचारी उच्च नितिपूरक व्यवहार वाली संस्थाओं के लिए कार्य करना चाहते हैं। सक्षम कर्मचारी उस स्तर की खोज में रहते है कि जो नितिपूरक व्यवसाय का स्तर बनाये रखती है। जब सक्षम कर्मचारी नीतिपूरक व्यवहार करने वाली फर्मो की तरफ जाते है तो सभी को लाभ होता है क्योंकि योग्यता और नितिपूरक व्यवहार दोनों ही चिरस्थायी है।

(ब) संस्था मूल्य :– संस्था मूल्य वे सिद्धान्त व विचार है जिसमें व्यक्ति या संस्थांए दृढ़ता से विश्वास करती है तथा उन्हें महत्वपूर्ण मानती है। जब व्यक्ति निर्णयो के बारे में शंका होती है तो वे तुरन्त सही निर्णय लेने के लिए गहरे जमे हुये मूल्यों का सहारा लेते है। संस्था में सहभागी मूल्यों पर विश्वास वैचारिक प्रतियोगिता, इच्छाओं, वेयक्तिक, कर्मचारियों के उद्देश्य का सामना करने के लिए उद्देश्यों को सरल से सरल बनाते है।

एक व्यक्ति किसी संस्था की दुरदर्शिता व उद्देश्यों कथनों का परीक्षा द्वारा संस्था के मुल्यों के बारे में अंदाजा लगा सकते है। ये कथन संस्थाओं के उद्देश्य व सफलता को प्राप्त करने के लिए दिये गये निर्देशों का संक्षिप्त विवरण होते है। बहुत सी समस्याएँ इन दुरदर्शिता व उद्देश्यों कथनों को कई स्थानों पर प्रदर्शित करती है जिससे कि कर्मचारी संस्थाओं के मुल्यों को जान सके।

© The Institute of Chartered Accountants of India

22 अन्तवैयक्तिक संचार के आवश्यक कार्य :–

सूचना प्राप्त करना –

अन्तवैयक्तिक संचार का मुख्य कार्य अन्य किसी व्यक्ति के बारे में ज्ञान और सूचना अर्जित करना होता है। हम ऐसी सूचना इसलिए एकत्र करते है ताकि हम उस व्यक्ति से अधिक प्रभावी ढंग से संचार कर सके तथा उन व्यक्तियों को ठीक प्रकार से जान समझ सके।

एक दुसरे को जानना और समझना :–

अन्तवैयक्तीक संचार हमें अन्य व्यक्ति द्वारा दिये गये संदेश को उसी सदंर्भ में समझने में सहायता करता है जिस सन्र्दभ में संदेश भेजा गया है शब्दों का अर्थ बहुत भिन्न–भिन्न हो सकता है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि उक्त शब्द केसे और कब कहा गया है और किस सन्र्दभ में कहा गया है विषयपूरक संदेश – संदेश का शाब्दीक अर्थ सन्र्दभ में होते है। संबंधात्मक संदेश को किस रूप में या किस प्रकार से कहा गया है के सन्दर्भ में होते है। दोनों प्रकार के संदेश को एक ही साथ भेजा जाता है पर यह दोनों संचार के दिये गये अर्थ को प्रभावित करते है और हमें एक दुसरे को बेहतर समझने में सहायता करते है।

पहचान की स्थापना करना –

हम इसलिए भी अन्तवैयक्तिक संचार करते है ताकि हम अपनी पहचान स्थापित कर सके जो कि हमारे सम्बन्धों पर आधारित होती है और हम दुसरों के समक्ष अपनी छवि को कैसे प्रस्तुत करे।

अन्तवैयक्तिक संचार की आवश्यकताएँ :–

हम अन्तवैयक्तिक संचार इसलिए भी करते है की हम एक दुसरे को अपनी अन्तवैयक्तिक आवश्यकता बता सके विलियम शुप्ज ने ऐसी तीन आवश्यकताओं को चिन्हित किया है और वह है।

समाहित होना ऐसी आवश्यकता है जिसके द्वारा हम अपनी पहचान को उसकी पहचान के साथ सम्मिलित कना चाहते है।

नियंत्रण की आवश्यकता हमें अपने नेतृत्व का प्रयोग करना होता है और अपनी योग्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है।

स्नेह एक ऐसी आवश्यकता है जिसके द्वारा हम दुसरों के साथ सम्बन्ध विकसित करना चाहते है। समुह मित्र बनाने और सम्बन्ध स्थापित करने का सबसे उत्तम मार्ग है।

23 मध्यस्थ के द्वारा पक्षों के बीच मतभेदों के समाधान के लिए निम्न प्रक्रिया की पालना की जाती है जिससे सर्जनात्मक समाधान उत्पन्न हो

(i) समस्या समाधान अभिन्मुखी (स्थिति निर्धारण) :–

रचनात्मक होना और समस्या समाधान की स्थिति – निर्धारण को बनाये रखना आवश्यक है यहा तक कि गहरे मदभेदों और व्यक्तिगत विरोधों के बावजुद यह

© The Institute of Chartered Accountants of India

प्रत्येक पक्ष के हित में होगा कि वह दुसरों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करे जैसा वह दुसरों से अपने लिए चाहता है। चिन्ता अथवा असहमति बिना किसी शर्त के रचनात्मक रूप में व्यक्त की जानी चाहिये।

(ii) सक्रिय सुनने की प्रक्रिया में लगा रहना :–

प्रत्येक अनुकुलता के निर्माण प्रक्रिया में प्रतिभागिताओं को सक्रिय सुनवाई के रूप में आने वाले कार्य में लगे रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए (वास्तव में, यदि आवश्यक हो तो निर्देश देना चाहिये)

(iii) बिना सहमति के आनंदमत होना :– प्रत्येक सर्वसम्मति निर्माण की प्रक्रिया में प्रतिभागियों को निर्देश देना चाहिए कि "बिना सहमति के भी असहमत हो"।

(iv) पारदर्शिता को अधिकाधिक सम्भव बनाने की कोशिश करनी चाहिये –

अधिक से अधिक मात्रा तक अनुकुलता निर्माण की प्रतिक्रिया पारदर्शी होनी चाहिये। वह समुह का आदेश, उसकी कार्य सुची और मुलभुत नियम हो।

प्रतिभागियों और समुहों की सुची या उनके द्वारा प्रस्तुत विषय प्रस्ताव जिन पर वे विचार कर रहे है निर्णायक नियम जो उन्होंने स्वीकार किये है उनकी अर्थव्यवस्था और उचित समय पर समुह की सिफारिश पर आधारित उनकी अन्तिम रिर्पोट किसी भी प्रतिभागी द्वारा जाँच के लिए प्राप्त होनी चाहिये।

(v) पारस्परिक लाभ के लिए विकल्प खोजने का प्रयास करना :–

अनुकुलता निर्माण के लक्ष्य अधिकतम सम्भव उपयोगिता के लिए निर्मित होना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जो कुछ भी मुल्य निर्धारित किये जाते है वे इस प्रकार से बंटे हो कि उनसे सभी प्रासंगिक उद्देश्यों की पूर्ति हो। मूल्य निर्धारण का मूल्य उद्देश्य पारस्परिक लाभ के लिए विकल्प ढुढ़ना है।

24 अंशों व ऋणपत्रों के हस्तान्तरण के लिए विलेख जारी करने का अधिकार पत्र :–

इस अधिकार पत्र के द्वारा हम सेफ इन्वेसटमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड (पूरा विवरण) मि. आलोक को (पूरा विवरण) कम्पनी का अर्टनी नियुक्त करते है अधिनियम के अनुसार यह कम्पनी के नाम के और उसके आधार पर उसके लिए सभी कार्य करेंगे जो कि अंशों व ऋणपत्रों के हस्तान्तरण से सम्बन्धित है जिनका ब्योरा नीचे दिया जा रहा है –

(1) प्राप्त करना ..... (पूरा विवरण), हस्तान्तरणकर्ता रूपये ..... (राशि) जो कि कम्पनी को देय स्वीकार है और उस राशि का भुगतान हस्तान्तरणकर्ता द्वारा किया जाना तय हुआ है ताकि वह खरीद सके (अंशों तथा ऋणपत्रों का पूरा विवरण) एक अनुबन्ध के अधिन जो कि दिनांक ..... तथा उसके लिए रसीद जारी कर सके तथा उसका निष्पादन कर सके।

(2) कहे गये अंशों व ऋणपत्रों के लिए हस्तान्तरण विलेख जारी कर सके।

(3) उपरोक्त लिखित विलेख को अधिकृत पंजीकरण, अधिकारी का पंजीकरण के दे सके तथा उसके समक्ष उसे स्वीकार करने के लिए कह सके तथा वह सारे कार्य

© The Institute of Chartered Accountants of India

कर्तव्य और अन्य को कर सके जो कि उस हस्तान्तरण विलेख के पंजीकरण के लिए आवश्यक है।

(4) वह सारे कार्य या उपक्रम विलेख आश्वासन देवे जो कि उर्पयुक्त अंशों व ऋणपत्रों के हस्तांन्तरण की पंजीकरण से सम्बन्धित है।

और कम्पनी ..... एतद् द्वारा स्वीकार करती है कि वह उसके द्वारा किये गये सभी कार्यों, कार्यकलापों विलेख या कार्यवाहियाँ जो कि वैधानिक रूप से उक्त अर्टार्नी द्वारा कम्पनी के नाम से तथा कम्पनी के आधार पर इस अधिकार पत्र के आधार से की है उन सबकी हम पुष्टी करेंगे तथा उनके लिए तथा उनके प्रभावों और परिणामों से बाध्य रहेंगे।

साक्ष्य के रूप में कम्पनी (.....) ने यह अधिकार पत्र जारी किया है और हस्ताक्षरित किया है इस दिवस ..... दिन ..... को ..... 20 ..... को

गवाह : 1. .....

2. ..... हस्ताक्षर

(बनाने वाले के)

25 वार्षिक साधारण सभा बुलाने के लिए सूचना का प्रारूप –

सूचित किया जाता है सिम्फनी प्राइवेट लिमिटेड की वार्षिक साधारण सभा शुक्रवार, 5 अगस्त 2016 को प्रातः 11 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय 123 टॉवर कम्पलेक्ष लखनऊ, जिला लखनऊ में निम्न कार्य करने के लिए होगी –

(1) 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अकेंक्षिप्त स्थिति विवरण तथा उसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ हानि खाते तथा उनसे सम्बन्धित अंकेक्षपण रिर्पोट तथा निदेशक मण्डल की रिर्पोट को प्राप्त करने विचार करने तथा धारण करने के लिए।

(2) 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभांश की घोषणा।

(3) निदेशक श्री ..... ने जो पारी से सेवा समाप्त होने पर जो पुननिर्वाचन के योग्य है अपने आपको पुननिर्वाचन के लिए प्रस्तुत किया।

(4) निदेशक जो पारी से रिटायर हो रहे है और पुननिर्वाचन के योग्य है अपने आपको पूननिर्वाचन के लिए प्रस्तुत किया है।

(5) वैधानिक अंकेक्षको की नियुक्ति तथा उनका पारिश्रमिक निश्चित करने के लिए।

पंजीकृत कार्यालय निदेशक मंडल के लिए / के आधार

हस्ताक्षर

अध्यक्ष

© The Institute of Chartered Accountants of India